UPBS010039352022

न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश(कोर्ट सं.1) बस्ती।
उपस्थितः–शिवचन्द(उच्चतर न्यायिक सेवा) आर्ईडी.नं०– यू.पी. 6040
सत्र परीक्षण वाद संख्या– 795/2022
उत्तर प्रदेश सरकार बनाम अंकलेश वर्मा पुत्र राम सुभाष वर्मा,
निवासी ग्राम वाहिद चक, थाना सोनहा, जनपद बस्ती।
अ०सं० 41/2022
धारा 302,120 बी भा०दं०सं०
थाना सोनहा, जिला बस्ती।

एवं

UPBS010048282022

सत्र परीक्षणीय वाद संख्या– 949/2022
उत्तर प्रदेश सरकार बनाम रिंका पुत्री गयाराम,
निवासी ग्राम वाहिद चक, थाना सोनहा, जनपद बस्ती।
अ०सं० 41/2022
धारा 302,120 बी भा०दं०सं०
थाना सोनहा, जिला बस्ती।

निर्णय

1. प्रस्तुत सत्रवाद सं० 795/2022 व सत्रवाद सं० 949/2022 एक ही घटना व एक ही मुकदमा अपराध संख्या–41/2022 से संबंधित होने के कारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–11–2023 द्वारा दोनों पत्रावलियों को एकीकृत कर एक साथ परीक्षण किया गया है तथा लीडिंग पत्रावली सत्र वाद सं०–795/2022 को बनाया गया है। अतएव दोनों सत्र परीक्षण वादों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

2. प्रस्तुत सत्र परीक्षण वाद संख्या 795/2022 अभियुक्त **अंकलेश वर्मा** के विरूद्ध अ०सं० 41/2022 के प्रकरण में धारा–302,120 बी भा.दं.सं. में वर्णित अपराध में थाना सोनहा पुलिस द्वारा आरोपपत्र प्रेषित करने पर तथा दिनांक 02–06–2022 को न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिये जाने के उपरान्त न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बस्ती द्वारा दिनांक 01–09–2022 को सत्र सुपुर्दगी उपरान्त विचारण प्रारम्भ हुआ।

3. प्रस्तुत सत्र परीक्षण वाद संख्या–949/2022 अभियुक्ता **रिंका** के विरूद्ध अ० सं० 41/2022 के प्रकरण में धारा– 302,120 बी भा.दं.सं. में वर्णित अपराध में थाना

Digitally signed by SHEO CHAND
Date: 2026.04.01 10:11:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सोनहा पुलिस द्वारा आरोपपत्र प्रेषित करने पर तथा दिनांक 26–08–2022 को न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिये जाने के उपरान्त न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बस्ती द्वारा दिनांक 15–10–2022 को सत्र सुपुर्दगी उपरान्त विचारण प्रारम्भ हुआ।

4. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि, वादिनी मुकदमा रिंकू पत्नी लालदेव, ग्राम वाहिद चक, थाना सोनहा, जनपद बस्ती द्वारा थानाध्यक्ष सोनहा को संबंधित इत्तिला पत्र दिनांकित 04.03.2022 देते हुए कथन किया है कि उसके पति लालदेव पुत्र हरिराम उम्र करीब 42 वर्ष का कल दिनांक 03–03–2022 को शाम करीब 7 बजे उनके मोबाइल पर किसी ने फोन किया, जिसपर अपनी मोटरसाइकिल नम्बर यू.पी.51 जेड–5668 से घर से चले गये। कुछ देर बाद वादिनी ने फोन किया तो एक बार फोन आया, उसके बाद फोन रिसीव नहीं हुआ। आस–पास खोजबीन किया, फिर जाकर सो गयी। आज प्रातः करीब 7 बजे सूचना मिली की उसके पति की मोटरसाइकिल सुभाष वर्मा के खेत के पास (वाहिद चक) पड़ी है तथा उसके पति की लाश चकरोड के बगल में गेहूँ के खेत में पड़ी है, उसे शक है कि उसके पति की हत्या किसी धारदार हथियार से कर दिया है। वह ग्राम प्रतिनिधि राजकुमार चौधरी के साथ थाने पर आयी। मुकदमा लिखकर कार्यवाही किये जाने की याचना की है।

5. वादिनी मुकदमा के तहरीर/प्रार्थनापत्र **प्रदर्श क–1** के आधार पर प्रकरण अ०सं० 41/2022 दिनांक 04–03–2022 समय 12.05 बजे अभियुक्त अज्ञात के विरूद्ध अंतर्गत धारा– 302 भा०दं०सं० प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क–7** पंजीकृत किया गया। जिसकी प्रवृष्टि नकल रपट कायमी सं०–15 दिनांक 04–03–2022 समय 12.05 बजे **प्रदर्श क–8** में इन्द्राज किया गया।

6. मामला पंजीकृत होने के बाद, विवेचक को विवेचना सुपुर्द की गयी। साक्षियों का साक्ष्यांकन करने एवं मौके पर जाकर मौका मुआइना कर, मौके का नक्शा नजरी घटना स्थल **प्रदर्श क–14, व** फर्द कब्जा में लेने रक्तरंजित गेहूँ की बाली **प्रदर्श क–3,** फर्द कब्जा में लेने काटन गाज से उठाया गया रक्त **प्रदर्श क–4,** फर्द कब्जा में लेने एक अदद दस्ताना **प्रदर्श क–5,** फर्द कब्जा में लेने मृतक के नाखून **प्रदर्श क–6,** गिरफ्तारी प्रपत्र **प्रदर्श क–15,** फर्द कब्जा में लेने आम आदमी पार्टी की पट्टी **प्रदर्श क–16,** फर्द कब्जा में लेने एक अदद मोबाइल **प्रदर्श क–17,** फर्द कब्जा में लेने जले हुए कपड़े की राख **प्रदर्श क–18,** फर्द कब्जा में लेने आलाकत्ल चाकू **प्रदर्श क–19, कायमी जीडी प्रदर्श क–19,** पंचायतनाम **प्रदर्श क–2,** फोटोनाश **प्रदर्श क–9,** पुलिस प्रपत्र **प्रदर्श क–10**, पत्र आर०आई० **प्रदर्श क–11,** पत्र सी०एम०ओ०**प्रदर्श क–12,** नमूनामोहर **प्रदर्श क–13,** शव विच्छेदन आख्या **प्रदर्श क–23,** सी.डी.आर. प्राप्त करने हेतु पुलिस अधीक्षक, बस्ती को प्रेषित पत्र **प्रदर्श क–21** आदि का अवलोकन करने तथा मामले में घटना का विस्तृत विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण अंकलेश वर्मा व कु० रिंका के विरूद्ध अंतर्गत धारा–302 व 120 बी भा०दं०सं० में वर्णित अपराध का पर्याप्त

साक्ष्य पाते हुए अभियुक्त अंकलेश वर्मा के विरुद्ध पृथक आरोप पत्र **प्रदर्श क–20** तथा अभियुक्ता कु० रिंका के विरुद्ध पृथक आरोप पत्र **प्रदर्श क–22** न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसपर न्यायालय द्वारा दिनांक 02–06–2022 व दिनांक 26–08–2022 को प्रसंज्ञान लेकर मामला अपराधिक वाद सं०–5523/2022 एवं 7485/2022 के रूप में पंजीकृत किया।

7. दोनों प्रकरण सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के कारण दोनों पत्राविलयों को क्रमशः दिनांक 01–09–2022 व दिनांक 15–10–2022 को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बस्ती द्वारा सत्र सुपुर्द किया गया। अभियुक्तगण अंकलेश वर्मा व अभियुक्ता रिंका के विरूद्ध धारा 302 व 201 भा.दं.सं. में वर्णित अपराध का मामला क्रमशः सत्र वाद सं०–795/2022 व सत्र वाद सं०–949/2022 के रूप में पंजीकृत हुआ।

8. अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के उपरान्त सत्र वाद सं०–795/2022 के मामले में अभियुक्त अंकलेश वर्मा के विरूद्ध दिनांक 20–09–2023 को तथा सत्र वाद सं०–949/2022 के मामले में अभियुक्ता रिंका के विरूद्ध दिनांक 26–07–2023 को अंतर्गत धारा–302 सपठित धारा 34 व धारा 120 बी भा०दं०सं० में वर्णित अपराध का न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया एवं विचारण की मांग की।

9. अभियोजन की ओर से अपने कथानक के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षी को परीक्षित कराया गया है–

क्रमांक सं०	**साक्षी**	**पी०डब्लू०**	**सहभागिता**
1.	रिंकू, वादी मुकदमा	1	तथ्य के साक्षी
2.	अजय गिरी	2	तथ्य के साक्षी
3.	गीता	3	तथ्य के साक्षी
4.	जमुना	4	तथ्य के साक्षी
5.	हरिराम	5	तथ्य के साक्षी
6.	आलोक कुमार चौधरी	6	चिक लेखक
7.	उमाशंकर	7	पंचनामा साबितकर्ता
8.	कां० सुभेन्द्र तिवारी	8	पंचनामा तैयारकर्ता
9.	हेड कां० कन्हैयालाल	9	चिक तैयारकर्ता
10.	निरीक्षक रामकृष्ण मिश्र	10	विवेचक
11.	ब्रजेन्द्र प्रसाद पटेल	11	विवेचक
12.	डाक्टर अलोक कुमार पाण्डेय	12	पोस्टमार्टमकर्ता

अभियोजन पक्ष के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

10. अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में अभियोजन पक्ष की तरफ से निम्नलिखित प्रपत्र दाखिल किये गये है–

क्रमांक सं०	साक्ष्य	प्रदर्श	साबित
1.	तहरीर/प्रार्थनापत्र	क–1	पी०डब्लू० 1
2.	पंचायतनामा	क–2	पी०डब्लू० 2,5,6 व 7
3.	फर्द	क–3	पी०डब्लू० 5
4.	नमूनामोहर	क–4	पी०डब्लू० 5
5.	फर्द	क–5	पी०डब्लू० 5
6.	नमूनामोहर	क–6	पी०डब्लू० 5
7.	चिक एफ.आ्इ.आर.	क–7	पी०डब्लू० 9
8.	कायमी जीडी	क–8	पी०डब्लू० 9
9.	फोटोनाश	क–9	पी०डब्लू० 10
10.	पुलिस फार्म	क–10	पी०डब्लू० 10
11.	पत्र प्रतिसार निरीक्षक	क–11	पी०डब्लू० 10
12.	पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी	क–12	पी०डब्लू० 10
13	नमूनामोहर	क–13	पी०डब्लू० 10
14.	नक्शानजरी	क–14	पी०डब्लू० 10
15.	गिरफ्तारी प्रपत्र	क–15	पी०डब्लू० 10
16.	फर्द बरामदगी	क–16	पी०डब्लू० 10
17.	फर्द बरामदगी मोबाइल	क–17	पी०डब्लू० 10
18.	फर्द बरामदगी कपड़े की राख	क–18	पी०डब्लू० 10
19.	जीडी	क–19	पी०डब्लू० 10
20.	आरोप पत्र अभियुक्त अंकलेश	क–20	पी०डब्लू० 11
21.	अनुरोध पत्र बावत सीडीआर	क–21	पी०डब्लू० 11
22.	आरोप पत्र अभियुक्त रिंका	क–22	पी०डब्लू० 11
23.	शव विच्छेदन आख्या	क–23	पी०डब्लू० 12
24.	बरामद वस्तु भौतिक प्रदर्श	1 ता 4	पी०डब्लू० 10
25.	विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट	का०सं०– 30 क/3	––––––
26.	आघात आख्या अभियुक्त अंकलेश	का०सं०– 3 क/37	–––

11. अभियुक्तगण अंकलेश वर्मा व रिंका का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० दिनांक 01.01.2026 को अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक गलत होना कहते हुए उन्हें गलत फंसाया जाना कहा है। अभियोजन साक्षीगण ने उनके विरूद्ध गलत साक्ष्य दिया है, साक्षीगण पी०डब्लू०–8 लगायत पी०डब्लू०–12 द्वारा सरकारी कारगुजारी दिखाने के लिए झूटी गवाही देना एवं फर्जी बरामदगी दिखाकर गलत प्रपत्र तैयार किया जाना कहा है। विवेचक द्वारा प्रभाव में आकर झूठा आरोपपत्र प्रेषित किया है। अभियुक्तगण

द्वारा कहा गया है कि उन्हें रंजिश के कारण साजिशन फंसा दिया गया है, स्वयं को निर्दोष बताते हुए कथन किया है कि घटना के समय वे अपने घर पर थे तथा सफार्इ साक्ष्य देना कहा है।

12. बचाव पक्ष की ओर से सफाई साक्ष्य के रूप में **डी०डब्लू० 1/ रामसुभाष वर्मा** को परीक्षित कराया गया है।

13. अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 12 साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है।

14. अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–1 श्रीमती रिंकू** ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मृतक लालदेव उसके पति थे। वह मुल्जिम अंकलेश वर्मा आैर मुल्जिम रिंका पुत्री गया राम को जानती पहचानती है। मुल्जिम अंकलेश आैर रिंका का घर उसके अगल–बगल है। घटना दिनांक 03–03–2022 की है। शाम के 7 बजे का समय था। उसके पति के मोबाइल पर किसी ने फोन किया। उसके पति ने फोन करने वालें से बात किया फिर उसका पति अपनी मोटरसाइकिल UP51Z5668 से घर से जब निकलने लगा, उसने पूछा कि 'आप कहां जा रहे है' तो उसके पति ने कहा कि 'मैं डड़वा जा रहा हूॅ आैर थोड़ी देर में घर आ जाउंगा'। उसके पति डड़वा के लिए निकले कुछ देर बाद उसने पति को फोन किया। एक बार उनका फोन आया कि 'मैं अभी जल्दी आने वाला हूॅ।' कुछ देर बाद जब उसका पति घर पर नहीं आया तो फिर उसने अपने पति को फोन मिलाया। उसके पति का जब कोर्इ जवाब नहीं आया तब खोजबीन शुरू हुआ। उसके ससुर कुछ लोगो के यहाँ जाकर दूध देते है। सुबह 7 बजे वह दूध देने के लिए जाते है। एक घण्टे के बाद उसके ससुर जब घर पर आये, उससे मोटरसाइकिल के बारे में पूछा तो उसके ससुर ने कहा कि जाआे डड़वा के पास एक मोटरसाइकिल खड़ी है, लग रहा है कि वही मोटरसाइकिल तो अपनी नहीं है, तब वह डड़वा गयी तो उसने देखा कि उसके पति की मोटरसाइकिल सुभाष वर्मा के खेत के पास पड़ी थी आैर उसके पति की लाश चकरोड के बगल में गेहॅू के खेत में पड़ी थी। उस समय आैर अगल–बगल के लोग भी आ गये। उसी समय उसके देवर संदीप ने थाने पर फोन किया। दरोगाजी जी और पुलिस के कुछ लोग थोड़ी देर में आ गये, फिर दरोगा जी ने मोटरसाइकिल पुलिस के कब्जे में लिया फिर लाश को थाने पर ले जाया गया। थाने पर उसने जगदीश प्रसाद, जो कटया के रहने वाले है, उनसे बोलकर तहरीर लिखवाया। तहरीर को पढ़ने के बाद उसने अपना हस्ताक्षर बना के तहरीर दरोगाजी को दिया तब उसका मुकदमा कायम हुआ। वह तहरीर पत्रावली में शामिल कागज संख्या 31क/9 है, जिसपर उसका हस्ताक्षर है। साक्षी के पुष्टि के आधार पर **<u>प्रदर्श क–1</u>** डाला गया, फिर दरोगाजी ने लाश का पंचायतनामा कराया। लाश को एक सफेद कपड़े में सीलमुहर कराया, वहाँ पर उपस्थित कुछ लोगो ने पंचायतनामा की कार्यवाही पर हस्ताक्षर भी बनाया था। फिर लाश को दरोगाजी ने सीलमुहर करा के पोस्टमार्टम के लिए पुलिस के हाथ पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया। पोस्टमार्टम की कार्यवाही समाप्त होने के बाद लाश उनलोगो को सौंपी गयी, फिर परिवार के लोगों ने दाह संस्कार किया। अंकलेश वर्मा

का आ ैर रिंका का नाजायज संबंध था। उसके पति ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था आ ैर पकड़ा भी था। उसी से अंकलेश आ ैर रिंका यह सोचते थे कि समाज में इसकी कलही खुलने पर उनलोगो की बदनामी होगी, इसीलिए अंकलेश आ ैर रिंका ने एक साजिश के तहत उसके पति की हत्या की।

15. अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–2 सतीश गिरी** ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसका शंकरपुर बाजार में किराने की दुकान है। वह अपने दुकान पर घरेलू उपयोग का सामान देता है लेकिन चाकू नहीं बेचता। घटना दिनांक 03–03–2022 की है। घटना के पहले उसने मुल्जिम अंकलेश वर्मा को सब्जी काटने वाली चाकू उसने नहीं दिया था न ही वह खरीदा था आ ैर न ही वह अंकलेश वर्मा को जानता है। उसने दरोगाजी को अंकलेश वर्मा के विरुद्ध को ई बयान नहीं दिया था। इस स्तर पर न्यायालय द्वारा उक्त साक्षी को **पक्षद्रोही** घोषित कर अभियोजन द्वारा उससे प्रतिपरीक्षा की गयी है।

16. अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–3 गीता** ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह पढ़ी लिखी नहीं है। मृतक लालदेव वर्मा उसके जेठ थे। इस मुकदमें की वादिनी रिंकू पत्नी लालदेव उसकी जेठानी है। उसके पति की मृत्यु के बाद उसके जेठ लालदेव उनलोगों की देखभाल करते थे। घटना दिनांक 03–03–2022 की है। शाम 7 बजे का समय था। उस दिन चुनाव था आ ैर वोट पड़ा था। वोट के दिन शाम 7 बजे वहलोग घर पर खाना बना रहे थे। उसी समय उसके जेठ लालदेव वर्मा के फोन पर फोन आया तो वह मोटरसाइकिल लेकर जाने लगे। उसकी जेठानी रिंकू ने कहा कि खाना खा लीजिए तब जाइये। उसके जेठ ने कहा कि वह अभी दस मिनट में आ रहा है, तब खाना खाउंगा। काफी देर तक वहलोग इंतजार करते रहे, जब उसके जेठ नहीं आये तो उसकी जेठानी ने उसको फोन लगाया लेकिन बात नहीं हु ई। फिर वह गांव के लोगो के घर जाकर लोगो से पूछी आ ैर देखी कि उसके जेठ किसी के घर पर नहीं थे आ ैर वापस आयी तो बतायी कि अंकलेश के घर पर लोग जगे हुए है आ ैर अंकलेश अपने नल पर नहा रहा है। वहा भी नहीं है। काफी रात हो गयी, वहलोग खाना खाकर सो गये। सुबह गांव में शोर हुआ कि उसके जेठ की लाश गांव के उत्तर तरफ गेहूं के खेत में पड़ी हुयी है। वहलोग चिल्लाते हुए जाकर देखे तो उसका गला कटा हुआ था। काफी खून गिरा था आ ैर उसके जेठ की मृत्यु हो चुकी थी। वहाँ पर पड़ोस के काफी लोग आ गये थे। मुल्जिम अंकलेश उसके गांव का है आ ैर अंकलेश ने ही उसके जेठ लालदेव को फोन करके धोखे से बुलाया आ ैर गला काटकर हत्या कर दी, जिससे उसके जेठ लालदेव की मृत्यु हो गयी। यही बयान उसने दरोगाजी को दिया था।

17. आयोजन साक्षी **पी०डब्लू०–4 जमुना** ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि इस मुकदमे की वादिनी रिंकू पत्नी लालदेव उसकी पतोहू है तथा मृतक लालदेव उसका लड़का है। वह मुल्जिम अंकलेश वर्मा एवं मुल्जिम रिंका पुत्री गयाराम को जानती पहचानती है।

दोनों मुल्जिमान का घर अगल–बगल है। वह पढ़ी लिखी नहीं है। घटना लगभग दो वर्ष से ऊपर हुआ, मार्च का महीना था, शाम 7.00 बजे का समय था। घटना के दिन उसके लड़के लालदेव के मोबाइल पर किसी ने फोन किया, वह बात किया और बात करने के बाद मोटरसाइकिल लेकर निकला। उसकी पतोहू रिंकू ने पूछा कि कहा जा रहे तो लालदेव ने कहा कि वह डडवा जा रहा है, थोड़ी देर में आयेगा। जब ज्यादा समय हो गया तो उसकी पतोहू ने लालदेव को फोन किया तो लालदेव ने कहा कि 'अभी जल्दी आ रहा हूं।' ज्यादा समय बीतने के बाद फिर रिंकू ने लालदेव को फोन किया तो लालदेव ने फोन नहीं उठाया, तो वह लोग उसको खोजना शुरू किये। उसके पति कुछ लोगों के यहां दूध देने जाते है, सुबह सात बजे दूध देने के लिए निकलते है, एक घण्टा बाद जब वह दूध देकर घर आये तो उसकी पतोहू से मोटरसाइकिल के बारे में पूछा तो उसके पति ने पतोहू से कहा कि 'जाओ डडवा के पास एक मोटरसाइकिल पड़ी है, लग रहा अपनी मोटरसाइकिल तो नहीं है।' उसके बाद वह अपनी पतोहू के साथ डड़वा गयी तो देखा कि उसके लड़के की मोटरसाइकिल सुभाष वर्मा के खेत के पास पड़ी थी और उसके लड़के लालदेव की लाश चकरोड के बगल में गेहूं के खेत में पड़ी थी। उस समय अगल–बगल के लोग आ गये थे, बगल के संदीप ने थाने पर फोन किया। पुलिस आयी फिर दरोगा जी ने मोटरसाइकिल कब्जे में लिया और लाश को थाने ले गये। उसकी बहू रिंकू ने थाने पर दरखास्त देकर मुकदमा लिखाया, दरोगा जी ने लाश का पंचायतनामा कराया फिर लाश को सील मोहर करके पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया। पोस्टमार्टम की कार्यवाही समाप्त होने के बाद लाश उनलोगों को दी गयी और उसके परिवार के लोगों ने लाश का दाह संस्कार किया। मुल्जिम अंकलेश वर्मा और रिंका का नाजायज संबंध था, उसके लड़के लालदेव ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और पकड़ा भी था। उसी से अंकलेश व रिंका यह सोचते थे कि समाज में इसकी कलई न खुल जाय, जिससे उसकी बदनामी होगी। इसीलिए एक योजना के तहत अंकलेश और रिंका ने उसके लड़के की हत्या कर दी। घटना के संबंध में दरोगाजी ने उसका बयान लिया था।

18. अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–5 हरिराम** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि इस मुकदमे की वादिनी रिंकू गयाराम की लड़की है। वह मुल्जिम अंकलेश वर्मा और रिंका को जानता पहचानता है, दोनों का घर अगल–बगल है। वह पढ़ा–लिखा नहीं है। घटना ढ़ाई साल से ऊपर का है, मार्च का महीना था और उसी दिन चुनाव का वोट पड़ा था। मृतक लालदेव उसका लड़का है। ।घटना के दिन लालदेव के मोबाइल पर अंकलेश वर्मा ने फोन किया, उसके लड़के लालदेव ने अंकलेश से फोन पर बात किया और बात करने के बाद लालदेव अपने मोटरसाइकिल से निकला। उसकी बहू ने पूछा कि कहां जा रहे तो लालदेव ने कहा कि 'डड़वा जा रहा हूं थोड़ी देर में आऊंगा।' काफी समय हो गया जब उसका लड़का वापस नहीं आया तो उसकी बहू ने लालदेव के मोबाइल पर कई बार फोन किया लेकिन वह

फोन नहीं उठाया। उसके परिवार के लोगों ने लालदेव की काफी खोजबीन किया लेकिन वह मिला नहीं। वह कुछ लोगों के यहां दूध देने सुबह 7.00 बजे जाता है। एक घण्टे बाद जब वह वापस आया तो अपनी बहू से लड़के के मोटरसाइकिल के बारे में पूछा, फिर अपनी बहू से कहा कि डड़वा के पास एक मोटरसाइकिल पड़ी है, उसने मोटरसाइकिल देखा है, लग रहा है कि मोटर साइकिल लालदेव की ही है। उसके बाद वह, उसकी बहू, उसकी पत्नी और गांव के अन्य कुछ लोग डड़वा गये तो देखा कि मोटरसाइकिल सुभाष वर्मा के खेत के पास पड़ी थी और उसके लड़के लालदेव की लाश चकरोड के बगल गेहूं के खेत में पड़ी थी। उसके पड़ोसी संदीप ने थाने पर फोन किया, पुलिस आयी, दरोगा जी ने मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में लिया। लाश को थाने पर ले गये। उसकी बहू रिंकू ने थाने पर दरखास्त देकर मुकदमा लिखाया। उसके सामने दरोगा जी ने लाश का पंचायतनामा कराया। पंचायतनामा पत्रावली में शामिल का०सं० 3 क/39 लगायत 3 क/41 है, जिस पर उसका निशानी अंगूठा लगा है, जिसकी वह पुष्टि किया तथा उस पर **<u>प्रदर्श क–2</u>** डाला गया। उसके बाद लाश को एक सफेद कपड़े में सील मोहर कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया। पोस्टमार्टम की कार्यवाही समाप्त होने के बाद उसके परिवार के लोगों ने लाश का दाह संस्कार किया। दरोगाजी ने घटनास्थल से रक्तरंजीत गेहूं की पर्ची व बालियां का फर्द उसके सामने तैयार किया था। फर्द पर उसने अपना निशानी अंगूठा लगाया था। वह फर्द पत्रावली में शामिल का०सं० 3 क/16 है, साक्षी के पुष्टि के आधार पर **<u>प्रदर्श क–3</u>** डाला गया। दरोगा जी ने घटनास्थल से कॉटनगाज से उठाया गया रक्त का नमूना मोहर उसके समक्ष तैयार किया था जो पत्रावली में शामिल का०सं० 3 क/17 है जिस पर उसका निशानी अंगूठा लगा है, उस पर **<u>प्रदर्श क–4</u>** डाला गया। दरोगा जी ने एक अदद बायें हाथ का दस्ताना भी उसके समक्ष घटनास्थल से लिया था जो एक सफेद कपड़े में सील मोहर किया गया, वह फर्द पत्रावली में शामिल का०सं० 3 क/18 है, साक्षी के पुष्टि के आधार पर **<u>प्रदर्श क–5</u>** डाला गया। दरोगाजी ने उसके लड़के(मृतक) के बायें हाथ के नाखून में फंसे बाल को भी लिफाफे में सील मोहर कर उसके समक्ष नमूना मोहर तैयार किया था, जो पत्रावली में शामिल का०सं० 3 क/19 है, जिस पर उसका निशानी अंगूठा लगा है तथा उस पर **<u>प्रदर्श क–6</u>** डाला गया। मुल्जिम अंकलेश वर्मा और मुल्जिम रिंका का नाजायज संबंध था और उसके लड़का लालदेव ने इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और पकड़ा भी था। यह दोनों लोग सोचते थे कि समाज में इसकी कलई न खुल जाये इसीलिए दोनों ने मिलकर एक योजना के तहत उसके लड़के लालदेव की हत्या कर दिये। दरोगा जी ने उसका बयान लिया था।

19. अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–6 आलोक कुमार चौधरी** ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 04–03–2022 को सुबह गांव के कुछ लोगो द्वारा यह जानकारी मिली कि गांव के लालदेव पुत्र हरीराम की गला रेतकर गांव के उत्तर तरफ हत्या कर दी गयी है

तो वह भी सुनकर मौके पर गया। वहाँ पर भीड़ थी आ ैर पुलिस भी आयी हुयी थी। दरोगाजी ने पंचायतनामा की कार्यवाही पढ़कर सुनाया। उसने भी पंचायतनामा की कार्यवाही पर अपना हस्ताक्षर बनाया था। पंचायतनामा पत्रालवी में शामिल है। जो कागज संख्या 3 क/34 लगायत 3 क/41 है जिस पर पूर्व प्रदर्श क–2 पड़ा है। पुलिस ने जब अंकलेश वर्मा को हिरासत में लिया था तब उसे यह पता चला कि अंकलेश वर्मा ने ही लालदेव की हत्या किया है। घटना के संबंध में दरोगाजी ने उसका बयान लिया था।

20. अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–7 उमाशंकर** ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मृतक लालदेव वर्मा पुत्र हरिराम वर्मा सा० वाहिद चक, थाना सोनहा, जिला बस्ती को वह जानता है। दिनांक 04–03–2022 को वह शोर पर घटनास्थल पर पहुंचा तो उस समय पुलिस आ ैर क ोइ लोग उपस्थित थे। लालदेव वर्मा की लाश खेत में पड़ी थी। गले पर कटा हुआ निशान था जो किसी धारदार हथियार से गले को काटा गया था। उसके सामने लाश का पंचायतनामा पुलिस ने किया था। लाश को एक सफेद कपड़े में सीलमोहर पुलिस ने कराया था। दरोगाजी ने पंचायतनामा के कागज को लिखकर उनलोगो को पढ़कर सुनाया था। सुनने के बाद उसने भी पंचायतनामा के कागज पर हस्ताक्षर बनाया था। वह पंचायतनामा पत्रावली में शामिल कागज संख्या 3 क/39 लगायत 3 क/41 है। जिसपर उसका हस्ताक्षर है जिसकी वह पुष्टि किया तथा उस पर पूर्व प्रदर्श क–2 पड़ा है, दरोगा जी उसका बयान लिए थे।

21. अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–8 कां० सुभेन्द्र तिवारी** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया कि दिनांक 04.03.2022 को मृतक लालदेव वर्मा पुत्र हरिराम साकिन वाहिद चक थाना सोनहा जिला बस्ती के लाश का पंचायतनामा प्रभारी निरीक्षक सोनहा रामकृष्ण मिश्रा ने उपस्थित पंचानों के समक्ष किया था। लाश को एक सफेद कपड़े में सील मोहर कराया था। पंचायतनामा की कार्यवाही को पढ़कर उपस्थित पंचानों से लेकर सभी पुलिसकर्मियों को पढ़कर सुनाया गया। सुनने के बाद उपस्थित सभी पंचानों ने और दरोगा जी ने और उसने पंचायतनामा की कार्यवाही पर अपना हस्ताक्षर बनाया था, जो पत्रावली में कागज सं० 3 क/39 लगायत 3 क/41 है। उसका भी हस्ताक्षर है। उस पर पूर्व **प्रदर्श क 2** पड़ा है। लाश को पुलिस प्रपत्र के साथ वह और हेड कां० केशव प्रसाद यादव पोस्टमार्टम हाउस लेकर गये थे। पोस्टमार्टम हाउस की कार्यवाही समाप्त होने के बाद लाश को उनके परिवार वालों को दी गयी थी। मुल्जिम अंकलेश वर्मा की गिरफ्तारी रामकृष्ण मिश्रा ने समय 7:10 पर किया था और मुल्जिम की जामा तलाशी उसके सामने हुई थी और मुल्जिम के पहने हुए पैंट की जेब से एक अदद मोबाइल फोन MI बरामद हुआ था, कब्जा पुलिस में लिया गया था। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

22. अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–9 साक्षी रिटायर्ड हेड कां० कन्हैया लाल** ने मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया कि दिनांक 04–03–2022 को वह थाना सोनहा जनपद

बस्ती में कां० मोहर्रिर के पद पर तैनात था। उस दिन उसने वादिनी रिंकू के तहरीर **प्रदर्श क–1** के आधार पर उसने अ०सं० 41/2022 धारा 302 भा०दं०सं० कम्प्यूटरीकृत चिक अपनी देखरेख में तैयार किया था, जो पत्रावली में शामिल कागज संख्या 3 क/6 लगायत 3 क/8 है, जिसकी वह किया तथा उस पर **<u>प्रदर्श क–7</u>** डाला गया। उसी दिन उसने जी.डी. नं०–15 समय 12.05 पर लिखा था लिखने के बाद उसके द्वारा जीडी को कम्प्यूटराइज्ड किया गया। कम्प्यूटराइज जीडी पत्रावली में शामिल कागज संख्या 3 क/12 है जिसकी वह पुष्टि किया। साक्षी के पुष्टि के आधार पर **<u>प्रदर्श क–8</u>** डाला गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

23. अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–10 निरीक्षक रामकृष्ण** ने मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया कि दिनांक 04.03.2022 को वह थाना सोनहा में थाना प्रभारी निरीक्षक के पद पर नियुक्त था। उक्त दिनांक को मु०अ०सं० 41/22 अंतर्गत धारा 302 भा०दं०सं० से संबंधित मृतक लालेदव वर्मा का पंचनामा कार्यवाही करने हेतु पंचनामा रजिस्टर के साथ में हमराहियान ग्राम माही चक शवस्थल पर पहुंचा जहां मृतक लालदेव वर्मा पुत्र हरीराम निवासी ग्राम वाहिद चक (झिंगउवा) थाना सोनहा जिला बस्ती के पंचनामा की कार्यवाही 12.05 बजे प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम मौके पर पंचाग की नियुक्ति की गयी। शव की दशा देखने पर दिखायी पड़ा कि गांव के उत्तर तरफ चकमार्ग के किनारे खेत में चित अवस्था में था, जिसका सिर उत्तर, पैर दक्षिण था। शव का हुलिया गंदूम रंग मजबूत जिस्म औसत नाक कान कद था, सिर आगे की तरफ गंजा था। मृतक नीले कलर का बाहीदार बनियान, हल्का पीले रंग का फुल बाजू का शर्ट, हाथ का बुना पीले रंग का स्वेटर पहने हुए था, गले में रूद्राक्ष की माला थी। कमर में लाल–पीले रंग की कर्धन थी। शव का गला कटा हुआ था, चेहरे पर भी कटे का निशान था, बायां कान बीच से कटा हुआ था, बायें हाथ की हथेली पर खून लगा हुआ था और बायीं तरफ खरोंच के निशान थे। पंचान से अलग–अलग व एक साथ पूछताछ पर उन्होंने बताया कि मृतक की मृत्यु गला काट देने के कारण हुई है। जिनकी राय से उसकी राय मेल खाती थी, फिर भी मृतक के मृत्यु का सही कारण जानने के लिए शव को मौके पर सीलमुहर, सर्वमुहर कर नमूना मुहर तैयार कर आवश्यक प्रपत्र के साथ शव–विच्छेदन के लिए भेज दिया। मौके पर पंचायतनामा फार्म एवं संबंधित प्रपत्र उसके द्वारा बोलकर वरीष्ठ उपनिरीक्षक रामदेव से बोलकर लिखवाया गया था तथा सभी संबंधित को पढ़कर सुनाने के पश्चात उनके हस्ताक्षर लिये गये थे और उसने भी अपना हस्ताक्षर बनाया था। शामिल पत्रावली पंचायतनामा फार्म 3 क/39 लगायत 3 क/41, फोटोनाश 3 क/42, पुलिस फार्म 3 क/43, चिट्ठी आर.आई. 3 क/44, चिट्ठी सी.एम.ओ. 3 क/45 एवं नमूनामुहर 3 क/49 है जिसपर उसका हस्ताक्षर है। जिसकी वह पुष्टि किया। पंचायतनामा फार्म <u>पूर्व प्रदर्श क–2</u> के रूप में है तथा कागज सं० 3 क/42 लगायत 3 क/49 पर क्रमशः **<u>प्रदर्श क–9</u>**, **<u>प्रदर्श क–10</u>**, **<u>प्रदर्श क–11</u>**, **<u>प्रदर्श क–12</u>**, **<u>प्रदर्श क–13</u>** डाला गया।

24. उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आवश्यक प्रपत्र के साथ विवेचना ग्रहण कर विवेचना प्रारंभ की गयी और सी.डी. नं०–1 उसके द्वारा किता किया गया जिसमें मुकदमा वादी रिंकू पत्नी लालदेव का बयान अंकित कर वादिनी के ससुर हरीराम के सहयोग से घटनास्थल का निरीक्षण कर उसके द्वारा एक नक्शानजरी तैयार किया गया। उसके द्वारा तैयार किया गया नक्शानजरी शामिल पत्रावली 3 क/15 है, जो उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। साक्षी के पुष्टि के आधार पर **<u>प्रदर्श क–14</u>** डाला गया। इसी सी.डी. में नकल चिक, नकल रपट का अवलोकन कर एफ.आई.आर. लेखक कांस्टेबल महादेव लाल का बयान अंकित किया। दौरान विवेचना दिनांक 04–03–2022 को ही घटनास्थल से रक्त रंजित गेहूं की पत्ती व बालियां, काटन गाज, एक अदद बाये हाथ का दास्ताना, घटना स्थल से मृतक के बायें हाथ के नाखून में फंसे बाल को काटन गाज में संग्रहित किया गया और मौके पर ही मेरे द्वारा फर्द बरामदगी तैयार की गयी। मेरे द्वारा तैयार की गयी फर्द शामिल पत्रावली कागज संख्या 3 क/16 लगायत 3 क/19 है जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर <u>पूर्व प्रदर्श क–3</u> लगायत <u>क–6</u> है। उक्त संबंधित माल सील बन्द लिफाफे में लाया गया है जिसे अभियुक्त के अधिवक्ता के उपस्थिति में एवं न्यायालय के आदेश से खोला गया जिसके अन्दर से **रक्त लगा गेहूं की पत्ती व बाली, काटन गाज, एक अदद दस्ताना, मृतक के नाखून में फंसा बाल मिला।** जिसे देखकर साक्षी ने कहा यही सब चीजे घटना स्थल से बरामद हुई थी। जिसकी वह पुष्टि किया। जिस पर **<u>भौतिक प्रदर्श 1 लगायत 4</u>** डाला गया। उक्त फर्दों का उसके द्वारा इस सी०डी० में अवलोकन किया गया। दौरान विवेचना दिनांक 05–03–2022 को क्षेत्र में था उसी दिन जरिये मुखबिर सूचना मिली की मु०अ०सं० 41/2022 से संबंधित संदिग्ध रूधौली की तरफ से भानपुर जा रहा था। जहां पर वह हमराहियान पहुंचकर चेकिंग करने लगे। इसी वक्त एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से भागना चाहा जिसे हमराही कर्मचारियों की मदद से रोक कर पूछा गया तो उसने अपना नाम अंकलेश वर्मा पुत्र रामसुभाष वर्मा निवासी वाहिद चक थाना सोनहा जिला बस्ती बताया। साथ ही पूछताछ करने पर बताया कि वह गांव की रिंका पुत्री गयाप्रसाद से प्रेम करता था। दोनों के मिलने की जानकारी गांव के तमाम लोगों सहित लालदेव उसकी पत्नी रिंकू को हो गयी। जिसे ले करके वह बराबर ताना मारता था। उक्त ताने से तंग आकर अंकलेश वर्मा ने लालदेव को ठिकाना लगाना चाहा, उस हेतु कई बार प्रयास भी किया किन्तु असफल रहा। लालदेव दारू पीने का आदी था। एक दिन लालदेव को ठिकाने लगाने के लिए उसे दारू पिलाने के लिए बुलाया किन्तु उस दिन भी सफल नही रहा। साथ ही अंकलेश ने बताया कि घटना के 15–20 दिन पहले शंकरपुर बाजार से अजय गिरी की दुकान से आरी, ब्लेड, चाकू खरीदा था। बार–बार लालदेव को मारने का अवसर देखता था किन्तु सफल नहीं होता था। तब एक दिन बढ़िया शराब पिलाने के लिए लालच देकर दिनांक 3 तारीख को शाम 7 बजे लालदेव को अपने फोन नं० 9369478263 से फोन करके कहां कि शराब आ गयी है आ जाओ। लालदेव के आने पर

अंकलेश ने लालदेव से कहा जो आदमी शराब ले करके आया है वह तुम्हारे सामने नहीं आयेगा लालदेव ने कहा कि वह अपनी आँखे बंद कर लेता है लेकिन उसने उसको भरमा कर उसकी आँख पर पट्टी बांध दिया। जब लालदेव की आँख बंद हो गयी तब वह इसी काम के लिए अपने पास रखे चाकू से एक ही झटके में सामने से उसका गला रेत दिया। लालदेव एक हाथ से अपना गला पकड़ लिया दूसरे हाथ से मेरा बाल पकड़ लिया गुथम गुथ्था हो गया। लालदेव की आँख से पट्टी भी सरक गया। मारने से पहले उसने खूब संघर्ष किया तथा दाये हाथ की बीच वाली उंगली को दांत भी काट लिया। जब वह उसे जमीन पर गिरा दिया लब उसके गले के घाव में उंगली डालकर घाव को फैला दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। उसके कपड़ों पर लालदेव का खून लग गया था। कुछ देर वहां रूकने के बाद गेहूं के खेत में बिजली के खम्भे के पास चाकू ले जाकर छुपा दिया और वहां से घर चला गया। घर के बाहर आग जल रही थी। खाना खाने के बाद उसने अपने सारे कपड़े घर के बाहर जल रही आग में जला दिया। दस्ताना मौके पर ही छूट गया था। कपड़ा आग में जलाने के बाद बाहर नल पर स्नान किया। घर वालों के कपड़ा जलाने के बारे में पूछने पर उन्हें बताया था कि दस्त आ रही थी कपड़ा खराब हो गया इसलिए जला दिया और स्वयं नहा लिया। पकड़े गये अंकलेश ने कहा कि वह चाकू बरामद करवा सकता है। उक्त व्यक्ति को उसके बयान के आधार पर हिरासत लेकर गिरफ्तारी प्रपत्र तैयार किया गया। उसके द्वारा तैयार किया गया गिरफ्तारी प्रपत्र शामिल पत्रावली कागज सं० 3क/22 है। जिसकी वह पुष्टि किया, पुष्टि के आधार पर **<u>प्रदर्श क–15</u>** डाला गया। अभियुक्त के निशानदेही पर रक्त रंजित आम आदमी पार्टी की पट्टी पुलिस कब्जा लेकर फर्द तैयार किया गया जो शामिल पत्रावली कागज संख्या 3क/23 है। जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी वह पुष्टि किया, पुष्टि के आधार पर **<u>प्रदर्श क–16</u>** डाला गया। अभियुक्त अंकलेश की मोबाइल को नियमानुसार कब्जा लेकर फर्द तैयार किया गया जो शामिल पत्रावली कागज संख्या 3क/24 है। जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी वह पुष्टि किया, पुष्टि के आधार पर **<u>प्रदर्श क–17</u>** डाला गया। अभियुक्त द्वारा जलाये गये अपने कपड़े की राख को उसकी निशानदेही पर उसके घर के सामने उसके पिता सुभाष वर्मा के सामने कब्जा लेकर सील मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया तथा फर्द नियमानुसार तैयार किया गया। जो शामिल पत्रावली कागज संख्या 3क/25 है। जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी वह पुष्टि किया, पुष्टि के आधार पर **<u>प्रदर्श क–18</u>** डाला गया। आलाकत्ल चाकू न्यायालय के आदेश से सील मोहर हालत में लाया गया है। जिसके ऊपर मु०अ०सं० एवं धारा आदि अंकित है। जिसे अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में खोला गया। जिसके अन्दर से रेती वाला चाकू मय मुठिया रक्त लगा हुआ मिला, जिसे देखकर साक्षी ने कहा कि अभियुक्त अंकलेश ने यही चाकू बरामद कराया था। जिससे उसने लालदेव की गला काटा था। जिसकी वह पुष्टि किया, पुष्टि के आधार पर **<u>भौतिक प्रदर्श–5</u>** डाला गया। अभियुक्त के कब्जे से बरामद मोबाइल सील मोहर हालत में न्यायालय लाया गया है जिस पर

मु०अ०सं० 41/2022 से संबंधित विवरण दर्ज है जिसे न्यायालय के आदेश से एवं अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में खोला गया। जिसके अन्दर से एम०आई० कम्पनी का मोबाइल मिला जिसके पीछे Made in India Model MC13B Design by XIAOMI दर्ज है, जिसे देखकर साक्षी ने कहा कि अभियुक्त के कब्जे से लिया गया वही मोबाइल है, जिसकी वह पुष्टि किया, पुष्टि के आधार पर **भौतिक प्रदर्श–6** डाला गया। अभियुक्त के घर के सामने से उसके पिता की उपस्थिति में लिया गया राख सील मोहर हालत में लाया गया जिस पर मु०अ०सं० 41/2022 से संबंधित विवरण दर्ज है जिसे न्यायालय के आदेश से एवं अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में खोला गया जिसके अन्दर राख मिली जिसे साक्षी ने देखकर कहा कि यही राख अभियुक्त के घर के सामने उसके पिता की उपस्थिति में कब्जा में लेकर सील मोहर किया गया। जिसकी वह पुष्टि किया, पुष्टि के आधार पर **भौतिक प्रदर्श–7** डाला गया। घटनास्थल से बरामद आम आदमी पार्टी की पट्टी रक्त रंजित न्यायालय के आदेश से सील मोहर हालत में लायी गयी है जिसे न्यायालय के आदेश से एवं अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थित में खोला गया जिसके अन्दर से रक्त रंजित आम आदमी पार्टी लिखा पट्टी घटनास्थल से बरामद किया गया था। जिसे देखकर साक्षी ने कहा कि यही पट्टी घटनास्थल से बरामद हुआ था। जिसको देखकर वह पुष्टि किया, पुष्टि के आधार पर **भौतिक प्रदर्श–8** डाला गया। अभियुक्त के उक्त कथन और बरामदगी के बावत उसके द्वारा उसी दिन थाना वापसी कर जी०डी० नं० 20 दिनांक 05–03–2022 समय 12:37 मिनट पर अंकित करायी गयी है। उक्त जी०डी० शामिल पत्रावली कागज संख्या 3 क/20 है। जिसकी वह पुष्टि किया, पुष्टि के आधार पर **प्रदर्श क–19** डाला गया। दिनांक 05–03–2022 को उसके द्वारा सी०डी० नं० 2 किता किया गया, जिसमें जी०डी० नं. 22 का अवलोकन कर बयान अभियुक्त अंकलेश वर्मा का एवं अंकलेश वर्मा द्वारा रेती चाकू खरीदने वाली दुकान मालिक अजय गिरी का बयान अंकित कर अंकलेश वर्मा का गिरफ्तारी प्रपत्र एवं सभी फर्द बावत कब्जा लेने रक्त रंजित पट्टी, रक्त रंजित चाकू, राख एवं मोबाइल का अवलोकन उसके द्वारा किया गया।

25. सी०डी० नं० 3 उक्त दिनांक को ही किता किया गया है जिसमें अभियुक्त अंकलेश वर्मा के मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, जिसमें वह पाया कि अभियुक्त के दाहिने हाथ की बीच वाली उंगली में गहरे खरोच का निशान है। जिसे संलग्न सी०डी० किया गया। सी०डी० नं० 4 दिनांक 06–03–2022 को किता किया गया जिसमें अभियुक्त की निशानदेही पर बरामद रक्त रंजित चाकू पोस्टमार्टम से प्राप्त पोटली व अंकलेश वर्मा से लिया गया ब्लड सैम्पल, एक अदद सर्वमोहर लिफाफा, अभियुक्त का नमूना बाल डी०एन०ए० परीक्षण हेतु हेड कां० राजकुमार दूबे को सुपुर्द किये जाने का तस्करा किया गया। सी०डी० नं. 5 दिनांक 09–03–2022 को किता किया जिसमें हेड कां० राजकुमार दूबे द्वारा डी०एन०ए० परीक्षण हेतु दाखिला पर प्राप्ति रसीद का अवलोकन कर मृतक की माँ जमुना देवी तथा गीता

देवी व पड़ोसी रामनिवास वर्मा का बयान अंकित किया। सी०डी० नं० 6 दिनांक 12.03.2022 को किता किया जिसमें पंचायतनामा व पी०एम० रिपोर्ट तथा मृतक का पी०एम० कराने वाले हेड कां० केशव प्रसाद यादव, कां० सुरेन्द्र तिवारी का बयान अंकित किया। CD नंबर 8 दिनांक 15.03.2022 को किता किया। जिसमें अवलोकन परीक्षण रिपोर्ट हेतु दाखिला रसीद तथा अंकलेश के मोबाइल नंबर 9369478263 और **मृतक लालदेव के मोबाइल नंबर 9819164052** की CDR रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु सर्विलांस सेल रिपोर्ट प्रेषित किए जाने का तस्करा किया। CD नंबर 9 दिनांक 20.03.2022 को किता किया। जिसमें मुकदमा वादिनी रिंकू का मजीद बयान एवं पंचायतनामा के साक्षीगण हरीराम, आलेक कुमार चौधरी, उमा शंकर, रामनिवास व राजकुमार का बयान अंकित किया। इसके आगे की विवेचना उससे स्थानांतरित कर दी गई थी।

26. अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–11 साक्षी निरीक्षक ब्रजेन्द्र प्रसाद पटेल** ने मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया कि सोनहा थाने पर दर्ज मु०अ०सं० 41/2022 U/S 302 IPC से संबंधित मुकदमें की पूर्व विवेचना निरीक्षक संजय कुमार तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना गौर के द्वारा सम्पादित की जा रही थी। उनके स्थानान्तरण के बाद इस मुकदमें की विवेचना उसके द्वारा ग्रहण किया गया। सी०डी० नं० 17 दिनांक 21.04.2022 को किता किया गया जिसमें विवेचना ग्रहण करने का उल्लेख है। सी०डी० नं० 18 दिनांक 24.04.2022 को किता किया गया जिसमें क्षेत्राधिकारी कार्यालय रुधौली में जाकर कार्यालय से उपरोक्त मुकदमा से संबंधित पूर्व में किता किये गये पर्चों को प्राप्त कर उसका अवलोकन किया गया। सी०डी० नं० 19, 20, 21 व 22 में अभियुक्त अंकलेश वर्मा का चौदह दिवसीय रिमाण्ड लिया गया। सी०डी० नं० 23 दिनांक 21–05–2022 को किता किया गया जिसमें मजीद बयान वादिनी रिंकू पत्नी स्व० लालदेव व साक्षीगण पतिराम, रामप्रसाद का बयान लेकर केस डायरी में अंकित किया गया। सी०डी० नं० 24 दिनांक 22.05.2022 को किता किया गया जिसमें घटनास्थल ग्राम वाहिद चक थाना सोनहा पहुंचकर घटना में रिका पुत्री गयाराम के शरीक होने के संबंध में अन्य ग्रामवासियों से पूछताछ कर गवाह दुर्गा प्रसाद, रामदेव का बयान अंकित किया गया। अब तक की विवेचना पूर्व किता पर्चों का अवलोकन मजीद बयान वादिनी तथा ग्रामवासियों के बयान से घटना के अपराधिक षडयंत्र में अंकलेश की प्रेमिका रिंका पुत्री गयाराम निवासी वाहिद चक थाना सोनहा जनपद बस्ती का शरीक होना पाया गया तथा उक्त अभियोग में धारा 120B IPC की बढ़ोत्तरी करते हुए अभियुक्ता रिंका पुत्री गयाराम का नाम प्रकाश में लाया गया। जिसकी तलाश सम्भावित स्थानों पर दबिश दी गयी व उसके गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक सोनहा से अनुरोध किया गया। सी०डी० नं० 25 दिनांक 29–05–2022 को किता किया गया जिसमें मुकदमा उपरोक्त से संबंधित बाल अपचारी रिंका उम्र करीब 16 वर्ष दिनांक 29.05.2022 को समय 12:10 बजे प्रभारी निरीक्षक थाना सोनहा के द्वारा गिरफ्तार

किया गया जिसकी सूचना पर वह थाना सोनहा में जाकर बाल अपचारी रिंका का बयान लिया गया। जिसमें बाल अपचारी रिंका द्वारा अपना प्रेम संबंध अंकलेश से होना स्वीकार किया तथा अंकलेश वर्मा के साथ मिलकर लालदेव की हत्या की योजना में शरीक होना स्वीकार किया। तत्पश्चात इसी तिथि को बाल अपचारी रिंका का बाल रिमाण्ड न्यायालय में स्वीकृत हुआ। सी०डी० नं० 26 दिनांक 30-05-2022 को किता किया गया जिसमें साक्षी गीता, सबिता और स्वतंत्र साक्षीगण अजय चौधरी, जीतेन्द्र चौधरी का बयान लेकर केस डायरी में अंकित किया गया। अब तक की विवेचना पूर्व किता पर्चों का अवलोकन मजीद बयान वादिनी तथा ग्रामवासियों के बयान से पाया गया Pw 11/1 कि अंकलेश द्वारा अपनी प्रेमिका रिंका पुत्री गयाराम निवासी वाहिद चक थाना सोनहा जनपद बस्ती के साथ अपराधिक षडयंत्र कर लालदेव की हत्या कर दी गयी। इस अभियोग में धारा 120B IPC की बढ़ोत्तरी कर रिंका का नाम प्रकाश में लाया गया। अब तक की विवेचना से उक्त अभियोग में प्रकाश में लाये गये अभियुक्त अंकलेश वर्मा पुत्र राम सुभाष वर्मा निवासी ग्राम वाहिद चक थाना सोनहा जनपद बस्ती के विरूद्ध अपराध संख्या 41/2022 अंतर्गत धारा 302, 120B IPC का पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए अभियुक्त अंकलेश वर्मा के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। उसके द्वारा प्रेषित किया गया आरोपपत्र पत्रावली में कागज संख्या 3क/1 लगायत 3क/5 है जिस पर उसका हस्ताक्षर बना हुआ है। जिसे देखकर वह सत्यापित किया, जिस पर **प्रदर्श क-20** डाला गया तथा बाल अपचारी रिंका पुत्री गयाराम के संबंध में विवेचना प्रचलित है। सी०डी० नं० 27 दिनांक 31-05-2022 को किता किया जिसमें प्रकाश में आये बाल अपचारी रिंका पुत्री गयाराम के बाल संरक्षण गृह बाराबंकी में निरूद्ध होने और उसकी रिमाण्ड समाप्त होने तथा साक्ष्य संकलन शेष रहने का तस्करा करते हुए रिमाण्ड याचना का तस्करा किया। सी०डी० नं० 28 दिनांक 10-06-2022 को किता किया जिसमें बाल अपचारी रिंका के प्राथमिक विद्यालय आदमपुर पहुंच कर उस विद्यालय के प्रधानाध्यक द्वारा दी गयी अभिलेख एस०आर० रजिस्टर में उसकी जन्मतिथि 06-06-2000 पाते हुए सी०डी० में तस्करा किया और अभियुक्ता की उम्र घटना की दिनांक को 21 वर्ष 08 माह 27 दिन अर्थात अभियुक्ता बालिग के रूप में पायी गयी। सी०डी० नं० 29 दिनांक 13-06-2022 को किता किया जिसमें अभियुक्ता रिमाण्ड याचना का तस्करा किया। सी०डी० नं० 30 उक्त दिनांक को ही तस्करा किया जिसमें मृतक लालदेव का पी०एम० करने वाले डाक्टर विवेक विश्वास व आलोक पाण्डेय का बयान अंकित किया। सी०डी० नं० 31 दिनांक 15-06-2022 को किता किया जिसमें अभियुक्ता के संस्था के प्रधानाध्यापक दिलीप कुमार का बयान अंकित कर घटना की तिथि को अभियुक्ता की उम्र 21 वर्ष 08 माह 27 दिन पाये जाने का तस्करा किया। सी०डी० नं० 32 दिनांक 25-06-2022 को किता किया जिसमें कथित बाल अपचारी को बालिग अभियुक्त के रूप में धारा 302, 1208 IPC रिमाण्ड पर लेने हेतु याचना का तस्करा किया। सी०डी०

नं० 33 दिनांक 25–06–2022 को किता किया जिसमें मृतक लालदेव अभियुक्त अंकलेश व रिंका से संबंधित मोबाइल नम्बरान का दिनांक 01.02.2022 से 05.03.2022 तक की अवधि का प्रमाणित सी०डी०आर० प्राप्त करने हेतु सर्विलांस क्षेत्र बस्ती को अनुरोध पत्र भेजे जाने का तस्करा किया। उसके द्वारा भेजी गयी अनुरोध रिपोर्ट की दूसरी प्रति शामिल पत्रावली कागज संख्या 3 क/20 है जो उसके हस्तलेख में है। जिस पर उसका हस्ताक्षर बना है जिसकी वह पुष्टि किया तथा पुष्टि के आधार पर **प्रदर्श क–21** डाला गया। प्राप्त सी०डी०आर० के अवलोकन से **अंकलेश के मोबाइल नं० 9369478263** से घटना दिनांक 02–03–2022 को समय 18:59:34 पर **मृतक लालदेव के मोबाइल नं० 9819164052** पर 13 सेकंड व समय 19:00:27 पर 17 सेकंड बात किया जाना पाया गया और अंकलेश के मोबाइल नं० 9369478263 से **रिंका के भाई के मो० नं० 8795251599 से बातचीत होना पाया गया।** रिंका द्वारा उपयोग की जा रही मोबाइल नं० 8795251599 के कैफ अवलोकन से सोनचन्द्र पुत्र गयाराम साकिन वाहिदपुर शंकरपुर भानपुर बस्ती की पिन 272194 के नाम से निर्गत हुआ पाया गया जो रिंका द्वारा उपयोग में लाया जा रहा था जो रिंका का भाई है। **मोबाइल नं० 9369478263** के कैफ अवलोकन से सुभाष वर्मा पुत्र रामलौटन वर्मा निवासी आवास विकास कालोनी कटरा बस्ती के नाम निर्गत होना पाया गया जो अंकलेश वर्मा द्वारा उपयोग में लाया जा रहा था। राम सुभाष वर्मा अंकलेश के पिता हैं। मोबाइल नं० 9819164052 के कैफ के अवलोकन से लालदेव वर्मा पुत्र हरीराम वर्मा निवासी जी.10 बरनाला माला नं० 3 (बारनेल मार्केट) मोहाली पिप लाइन मुम्बई सुबरबन 400072 के नाम से निर्गत पाया गया जिसका उपयोग लालदेव वर्मा द्वारा किया जा रहा था। सी०डी० नं० 36 दिनांक 19–08–2022 को किता किया जिसमें रिंका को रिमाण्ड पर लेने हेतु याचना का तस्करा किया। सी०डी० नं० 38 दिनांक 21–08–2022 को किता किया जिसमें अभियुक्त अंकलेश वर्मा के पिता रामसुभाष वर्मा और अभियुक्ता रिंका के भाई सोमचन्द्र का बयान अंकित किया गया। सी०डी० नं० 39 दिनांक 25–08–2022 को किता किया जिसमें दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य से रिंका पुत्री गयाराम निवासी वाहिद चक थाना सोनहा जनपद बस्ती के विरूद्ध धारा 302, 120B IPC का पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोपपत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। उसके द्वारा प्रेषित कम्प्यूटराइज्ड आरोपपत्र शामिल पत्रावली कागज संख्या 3 क/1 लगायत 3 क/6 है जिस पर थाने की मोहर लगी है और उसका हस्ताक्षर बना है, जिसकी वह पुष्टि किया, पुष्टि के आधार पर **प्रदर्श क–22** डाला गया।

27. अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–12 डाक्टर आलोक पाण्डेय** ने मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया कि दिनांक 04.03.2022 को वह जिला अस्पताल बस्ती में चिकित्साधिकारी के पद पर नियुक्त था। उस दिन उसकी ड्यूटी मुख्य चिकित्साधिकारी के निर्देश पर पी०एम० हाउस बस्ती में लगी थी। उसके साथ डाक्टर विवेक विश्वास जिनकी

नियुक्ति सी०एच०सी० मरवटिया पर थी, उनकी भी डयूटी पी०एम० हाउस पर प्रथम ओपीनियन के तौर पर लगी थी। सोनहा थाने के हेड कां० केशव प्रसाद यादव व कां० सुरेन्द्र तिवारी मृतक लालदेव वर्मा उम्र 42 वर्ष पुत्र हरीराम साकिन वाहिद चक जिगवा थाना सोनहा जनपद बस्ती के शव का पोस्टमार्टम कराने हेतु समय 3.00 पी.एम. पर लाये थे। मृतक का पहचान मृतक के भाई आलोक कुमार चौधरी व उसके साथ आये रामउजागिर ने किया था। पोस्टमार्टम की कार्यवाही समय 03:55 पी०एम० पर प्रारम्भ की गयी थी व समाप्ति 04:40 पी०एम० पर हुआ था।

–:<u>शव का निरीक्षण:</u>–

उंचाई 162 सेमी, पैर का तालू 25 सेमी, कद काठी औसत। मृत्यु के पश्चात शरीर में अकड़न मौजूद था। दोनो आंखे खुली हुई थी व मुंह आधा खुला हुआ था।

<u>बाह्य चोटें (एन्टीमार्टम इंजरी)</u>

चोट नं० 1. 17x4 सेमी का Incised wound गर्दन के सामने मौजूद था जो कि चिन से 4 सेमी नीचे तथा दाहिने कान से 6 सेमी नीचे तथा बायें कान से 8 सेमी नीचे था। चोट गर्दन में दाहिने साइड पर आकर खत्म हो रहा है।

चोट नं० 2. 2x0.5 सेमी का Incised wound बायें कान पर था।

चोट नं० 3. 1x1 सेमी खरोंच का निशान दाहिने घुटने के नीचे था।

<u>शव काआंतरिक परीक्षण</u>

गर्दन के अंदर के टीशू फटे हुये थे तथा थायराइड भी फटा हुआ था तथा हाइड बोन भी टूटा हुआ था। श्वास नली फटा हुआ था। हृदय के चारों चेम्बर खाली था, जिसका वजन 240 ग्राम था। पेट खाली था। छोटी आंत में पेस्टी मटेरियल व गैस मौजूद था। बड़ी आंत में मल एवं गैस मौजूद था। दोनो गुर्दे सामान्य थे। मूत्राशय खाली था। मृत्यु का सम्भावित समय लगभग 1 दिन था। **मृत्यु का तत्कालिक कारण शॉक और अत्याधिक रक्त स्राव था।** जो कि मृत्यु से पूर्व आयी हुई चोटों के कारण था। पी०एम० आख्या तीन प्रति में तैयार किया गया था, जो पत्रावली में पोस्टमार्टम आख्या संख्या 102/2022 कागज संख्या 3 क/51 लगायत 3 क/53 है। जो डाक्टर विवेक विश्वास के लेख व हस्ताक्षर में है। जिस पर उसका भी द्वितीय ओपीनियन के रूप में हस्ताक्षर बना हुआ है। वह डाक्टर विवेक विश्वास के राय से पूर्णतः सहमत था। वह अपने हस्ताक्षर व डाक्टर विवेक विश्वास के हस्ताक्षर का पहचान करता है। जिस पर **<u>प्रदर्श क–23</u>** डाला गया। पोस्टमार्टम से संबंधित प्रपत्र व वस्तु तथा शव को संबंधित पुलिस कर्मियों को सुपुर्द कर दिया गया था।

<u>To court -</u> उसकी राय में मृतक की मृत्यु, मृत्यु पूर्व आयी चोटें से अत्याधिक रक्त स्राव के कारण हुई थी। मृतक के शरीर पर उसके गर्दन, बायें कान और घुटने में चोट आयी थी। **मृतक के मृत्यु जनित चोट गर्दन काटने के फलस्वरूप आनी सम्भव है।**

28. बचाव साक्षी **डी०डब्लू० 1/ रामसुभाष वर्मा** ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि इस मामले का अभियुक्त अंकलेश वर्मा उसका लड़का है। वह खेती का काम करता

है, घर पर ही रहता है। उसके गांव के रिंकू के पति का सिवान में दिनांक 03–03–2022 को मृत्यु हो गयी थी। कथित घटना दिनांक 03–03–2022 को सायं 6 बजे से रात तक उसका लड़का अंकलेश उसके साथ घर पर ही था। उसकी पत्नी और पिता जी घर पर थे। लगभग 7.00 बजे वह लोग साथ साथ खाना खाये थे। अंकलेश उनलोग को खाना अंदर से लाकर परोसा था तथा वहलोग के खाने के बाद वह अपनी मां के साथ बाद में खाना खाया। वह लोग साथ–साथ ही घर पर थे और घर पर ही सोये थे। उसका लड़का उसके बगल में ही तख्त पर सोया था। उक्त मामले के मृतक लालदेव के मृत्यु में उसके लड़के का कोई हाथ नही है। रंजिशन गांव वालों ने वादी मुकदमा को चढ़ाकर उसके लड़के अंकलेश को झूठे मुकदमें में नामित कर दिये है। उसने यह बात पुलिस वालों को बताया था जो सही बात है वही न्यायालय में बता रहा है। कथित घटना के समय वादी मुकदमा व उसके घर वाले भी उसके लड़के को घर पर देखे थे। वह नल पर खाना खाने के बाद हाथ मुंह धो रहा था। सत्यता जानने के बावजूद भी पुरानी रंजिशन व गांव वालों के कुछ लोगों के उकसाने पर उसके लड़के को झूठा फंसा दिये है।

29. दाण्डिक मामलों में अभियोजन पक्ष पर साबित करने का भार होता है कि वह अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये अभियोग को अपने साक्ष्य द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करें।

30. बचाव पक्ष की तरफ से प्रकरण में निम्न विधि व्यवस्थाएं प्रस्तुत की गयी है–

(i) पत्तू राजन बनाम तमिलनाडु राज्य 2019 (3) CCSC 1192 (SC)
(ii) दीपक आर्या बनाम उत्तराखण्ड राज्य 2016 (95) ACC 73
(iii) राहुल बना दिल्ली राज्य, गृह मंत्रालय और अन्य (आपराधिक अपील सं० 611/2022)
(iv) कत्तावेलई उर्फ देवाकर बनाम तमिलनाडु राज्य (आपराधिक अपील सं० 1672/2019) (15 जुलाई, 2025)

31. अभियोजन की आ◌ेर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण एक दूसरे से प्रेम करते थे। मृतक लालदेव ने उनको आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था। इस बात को लालदेव गांव के अन्य किसी भी व्यक्ति से न कह दे इसलिए अभियुक्त अंकलेश वर्मा ने आपराधिक षडयंत्र करते हुए लालदेव को उसके घर से फोन करके बुलाया और चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या कर दिया। उक्त तथ्य को अभियोजन की आ◌ेर से पेश किये गये साक्षीगण सं० 1 ता 12 के दिये गये बयान साक्ष्य से घटना साबित किया है। अतः अभियुक्तगण को दण्डित किया जाये।

32. **प्रतिउत्तर** में बचाव पक्ष की आ◌ेर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा न तो कोई आपराधिक षडयंत्र कारित किया गया है और न ही उनके द्वारा वादिनी के पति लालदेव का गला रेत कर हत्या किया गया है। पत्रावली पर जितने भी तथ्य के साक्षी परीक्षित कराये गये है सभी एक ही परिवार के मेली मददगार है तथा उनके दिये

गये साक्ष्य में पर्याप्त तात्विक विरोधाभाष है तथा उनके साक्ष्य में स्थिरता नहीं है। उक्त घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। पत्रावली पर जो बरामदगी दर्शायी गयी है वह विवेचक द्वारा मनमानापूर्ण, बिना किसी प्रक्रिया के फर्द बरामदगी तैयार की गयी है। घटनास्थल पर अभियुक्तगण के कब्जे से ऐसी कोई वस्तु आदि की बरामदगी नहीं की गयी है जिससे घटना में अभियुक्तगण की संलिप्तता स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही हो। अभियुक्त अंकलेश वर्मा को रंजिशन, झूठे तथ्यों के आधार पर मुकदमें में अभियुक्त बना दिया गया है तथा अभियुक्ता रिंका गलतफहमी के आधार पर अभियुक्त बना दिया गया है। अतः अभियुक्तगण को बरी किये जाने का निवेदन किया गया।

33. मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की आ ेर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्को को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

34. **मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या दिनांक 03–03–2022 को समय करीब 7.00 बजे शाम बहद स्थान ग्राम वाहिद चक, थाना सोनहा, जिला बस्ती में अभियुक्तगण ने अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में होकर आपराधिक षडयन्त्र कारित करते हुए वादिनी मुकदमा रिंकू के पति लालदेव की हत्या धारदार हथियार से की है?**

35. **धारा 299 भा०दं०सं०** में परिभाषित किया गया है कि जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना सम्भाव्य हो, या ज्ञान रखते हुए यह सम्भाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कर दे कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है।

धारा 299 भा०दं०सं० में सदोष मानव वध परिभाषित है जिसमें तीन प्रकार की मैनसरिया बतायी गयी है।

1. मृत्यु कारित करने का आशय।
2. घातक क्षति पहुंचाने का आशय।
3. यह जानकारी की उसके कृत्य से मृत्यु होने की संभावना है।

36. **<u>धारा 300 हत्या–</u>** एतस्मिनपश्चात अपवादिक दशाओं को छोड़कर अपराधिक मानव वध हत्या है, **प्रथम–** यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गयी हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, अथवा **द्वितीय–** यदि वह ऐसी शारिरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिसे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, जिसको वह अपहानि कारित की गयी है, अथवा **तृतीय–** यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति जिससे कारित करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो अथवा **चतुर्थ–** यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना असनसंकट है कि पूरी अधिसम्भाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कर ही देगा जिससे

मृत्यु कारित होना संभाव्य है और मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे।

अपवाद– आपराधिक मानववध कब हत्या नहीं है– आपराधिक मानववध हत्या नही है, यदि अपराधी उस समय जबकि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति कि जिसने की यह प्रकोपन किया था, मृत्यु कारित करे, या किसी अन्य व्यक्ति मृत्यु घोर या दुर्घटनावश कारित करे ऊपर का अपवाद निम्नलिखित परन्तुकों के अध्याधीन है–

पहला– यह कि प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के लिए अपऱाधी द्वारा प्रतिहेतु के रूप में ईप्सित न हो या स्वेच्छया प्रकोपित न हो।

दूसरा– यह कि यह प्रकोपन किसी बात द्वारा न किया गया हो, जो विधि के पालन में, या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक व्यक्तियों के विधिपूर्वक प्रयोग में की गयी हो।

तीसरा– यह कि प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न किया गया हो, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गयी हो।

स्पष्टीकरण– प्रकोपन इतना गंभीर और अचानक था या नहीं कि अपराध को हत्या की कोटि में जाने से बचा दे, यह तथ्य एक प्रसंग है।

37. **<u>धारा–302 हत्या के लिए दण्ड–</u>** जो कोई हत्या करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डित होगा।

38. **धारा 34 भा०दं०सं०–** किसी अपराध का सृजन नहीं करती बल्कि अपराध कारित किये जाने में संयुक्त दायित्व के सिद्धान्त का सृजन करती है। धारा 34 भा०द०सं० में स्पष्ट रूप से उपबन्धित है कि "जब कोेइ अपराधिक कार्य कइ व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय (Common Intention) के अग्रसरण में किया जाता है तो एेसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानों वह कार्य अकेले उसी ने किया हो।''

39. **भा०दं०सं० की धारा 120ए में आपराधिक षडयंत्र को परिभाषित किया गया है–** जबकि दो या अधिक व्यक्ति– (1) कोई अवैध कार्य, अथवा (2) कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा, करने या करवाने को सहमत होते है, तब ऐसी सहमति अापराधिक षडयंत्र कहलाती है,

परन्तु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति अापराधिक षडयंत्र तब तक नहीं होगी, जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता।

40. **भा०दं०सं० 120बी– आपराधिक षडयंत्र का दण्ड–** (1) जो कोई मृत्यु, आजीवन कारावास या दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दण्डनीय अपराध करने के आपराधिक षडयंत्र में शरीक होगा, यदि ऐसे षडयंत्र के दण्ड के लिए इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, तो वह उसी प्रकार दण्डित किया जायेगा, मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया था।

(2) जो कोई पूर्वोक्त रूप से दण्डनीय अपराध करने के आपराधिक षडयंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षडयंत्र में शरीक होगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छः माह से अधिक की नहीं होगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

41. पत्रावली में संलग्न संदरभित घटना के बाबत वादिनी रिंकू पत्नी लालदेव की ओर से प्रभारी निरीक्षक थाना सोनहा जनपद बस्ती को लिखित तहरीर दिनांकित 04.03.2022 प्रस्तुत कर उसके द्वारा कथन किया गया कि उसके पति लालदेव पुत्र हरिराम, उम्र 42 वर्ष, निवासी वाहिद चक थाना सोनहा कल दिनांक 03.03.2022 को शाम करीब 7.00 बजे उनके मोबाइल पर किसी ने फोन किया जिसपर वह अपनी मोटरसाइकिल नं० UP–51–Z–5668 से घर से चले गये, कुछ देर बाद उसने फोन किया, एक बार फोन आया उसके बाद फोन रिसीव नहीं हुआ। आस–पास खोजबीन किया, फिर जाकर सो गयी। आज प्रातः करीब 7.00 बजे सूचना मिली की उसके पति की मोटरसाइकिल सुभाषवर्मा के खेत के पास (वाहिद चक) पड़ी है तथा उसके पति की लाश चक रोड के बगल में गेहूं के खेत में पड़ी है। उसे शक है कि उसकी पति की हत्या किसी ने धारदार हथियार से कर दिया है। वह ग्राम प्रतिनिधि राजकुमार चौधरी के साथ थाने पर जाकर मुकदमा लिख कर कार्यवाही किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र दिया गया है। लिखित तहरीर का०सं० 3 क/9 में उल्लिखित तथ्य को वादिनी न्यायालय के समक्ष पी०डब्लू० 1 के रूप में उपस्थित होकर अपने सशपथ बयान से साबित किया है जिसके आधार पर उक्त प्रपत्र पर **प्रदर्श क–1** डाला गया है। वादिनी की ओर से संदर्भित घटना के बाबत दी गयी तहरीर पर थाना सोनहा में दिनांक 04.03.2022 को 12.05 बजे अज्ञात के विरूद्ध मु०अ०सं० 41/2022 अंतर्गत धारा 302 IPC में दर्ज किया गया है। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट को अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 9 हेड कां० कन्हैया लाल द्वारा **प्रदर्श क–7** के रूप में साबित किया है।

42. इस संबंध में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटनास्थल से थाने की दूरी 12 किमी उत्तर दर्शायी गयी है तथा दिनांक 03.03.2022 को शाम 7.00 बजे, मृतक को घर से जाना कहा गया है। विलंब से दर्ज कराये जाने के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती।

43. यद्यपि यह सही है कि अभियोजन कथानक के अनुसार मृतक लालदेव अपने घर से 7.00 बजे मोटरसाइकिल से डड़वा जाने के लिए निकला था। इस संबंध में पी०डब्लू० 1 जो मृतक की पत्नी है रिंका, ने अपने साक्ष्य में कहा है कि दिनांक 03.03.2022 को समय 07.00 बजे शाम को उसके पति के नंबर पर किसी का फोन आया तो उन्होंने कहा कि 10 मिनट में आ रहा हूं, तब उसने खाना खाने की बात कही तो बताया कि डड़वा जा रहा हूं, बस लौटकरआता हूं तो खाना खाता हूं। काफी देर तक नहीं आये, फोन करने का प्रयास किया, घण्टी जाने पर फोन उठाया नहीं, कोई बात नहीं हो पायी। आस–पास पूछताछ करने

पर वह सो गयी। सुबह 7.00 बजे करीब उसके ससुर हरिराम उसे बताये कि उसके पति का मोटरसाइकिल वाहिद चक में सुभाष वर्मा के खेत के पास पड़ी है और चक रोड के बगल में उनकी लाश पड़ी है। इससे यह साबित हो रहा है कि वादिनी को घटना की जानकारी सुबह 7.00 बजे हुयी। तथा जानकारी होने के उपरांत थाना सोनहा में सूचना दी गयी है। जिसके आधार पर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कोई ऐसा विलंब नहीं है जिससे प्रथम सूचना रिपोर्ट को अविश्वसनीय कहा जा सके।

पंचायतनामा

44. पत्रावली में संल्गन का०सं० 3 क/39 ता 3 क/41 के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि मृतक लालदेव वर्मा पुत्र हरिराम के मृत्यु की सूचना रिंकू पत्नी लालदेव निवासी वाहिद चक झिनउवा थाना सोनहा जिला बस्ती द्वारा थाना सोनहा पुलिस को सूचना दिनांक 04.03.2022 को समय 12.05 बजे दिये जाने एवं पंचायतनामा की कार्यवाही दिनांक 04.03.2022 को समय 12.35 बजे प्रारंभ कर 14.40 बजे पूर्ण किये जाने का उल्लेख किया गया है तथा मृत्यु का कारण धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर देना दर्शाया गया है तथा पंचायतनामा की कार्यवाही पंचान हरिराम, आलोक कुमार चौधरी, उमाशंकर, रामनिवास व राजकुमार की उपस्थिति में पूर्ण की गयी है। मृतक के शव पर गला कटा हुआ, खूनालूद चेहरे पर कटे का निशान, बायां कान बीच में से कटा हुआ, खूनालूद बाये हाथ की हथेली पर खरोच का निशान। पंचों की राय में मृतक की मृत्यु गला काट देने के कारण होने का उल्लेख किया है। उक्त पंचायतनामा प्रपत्र को अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 5 हरिराम द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान साक्ष्य से **प्रदर्श क-2** के रूप में साबित किया है जिसकी पुष्टि अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 10 रामकृष्ण मिश्र विवेचक के दिये गये बयान से भी होती है।

--शव विच्छेदन आख्या--

45. पत्रावली में संलग्न शव विच्छेदन आख्या प्रपत्र का०सं० 3 क/51 ता 3 क/53 के अवलोकन से प्रकट हो रहा है कि दिनांक 04.03.2022 को डा. विवेक विश्वास व डा आलोक पांडेय के संयुक्त टीम द्वारा मृतक लालदेव वर्मा पुत्र हरिराम उम्र 42 वर्ष निवासी वाहिद चक के शव का शव विच्छेदन दिनांक 04.03.2022 को समय 3.55 बजे प्रारंभ कर 04.40 बजे पूर्ण की गयी है। मृतक के शरीर पर निम्न बाह्य चोटें पायी गयी है--

चोट नं० 1. 17x4 सेमी का Incised wound गर्दन के सामने मौजूद था जो कि चिन से 4 सेमी नीचे तथा दाहिने कान से 6 सेमी नीचे तथा बायें कान से 8 सेमी नीचे था। चोट गर्दन में दाहिने साइड पर आकर खत्म हो रहा है।

चोट नं० 2. 2x0.5 सेमी का Incised wound बायें कान पर था।

चोट नं० 3. 1x1 सेमी खरोंच का निशान दाहिने घुटने के नीचे था।

चिकित्सक की राय में मृतक लालदेव की मृत्यु, मृत्यु पूर्व उसके शरीर पर पहुंचायी गयी चोट के फलस्वरूप शॉक एवं हैमरेज से होना दर्शाया गया है तथा शव विच्छेदन आख्या में उल्लिखित तथ्य को अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–12 डॉ. आलोक कुमार पांडे न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान साक्ष्य से **प्रदर्श क–23** के रूप में साबित किया है।

46. अभियोजन की ओर से तथ्य के परीक्षित साक्षीगण पी०डब्लू० 1 रिंकू, पी०डब्लू० 3 गीता, पी०डब्लू० 4, जमुना, पी०डब्लू० 5 हरिराम के द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान साक्ष्य स्पष्ट तौर पर कहा है कि लालदेव की मृत्यु गला काटने से हुयी थी जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध शव विच्छेदन आख्या में चिकित्सक द्वारा दर्शायी गय़ी मृत्यु पूर्व चोटों से एवं अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–12 डॉ. आलोक कुमार पांडे के दिये गये बयान साक्ष्य से भी होती है।

47. **बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़िया मिलकर पूर्ण श्रृंखला का निर्माण नहीं करती है। मात्र शंका/संभावनाओं के आधार पर अभियुक्तगण को मुल्जिम बनाया गया है।**

48. यद्यपि यह सही है कि प्रस्तुत प्रकरण में घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित विधि **सी०के० रविन्द्रन बनाम स्टेट आफ केरला** 2000(1)**एस०सी०सी० पेज** 225 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित विधि यह अपेक्षा करती है कि अभियोजन को उन प्रत्येक परिस्थितियों को साबित करना चाहिए जो निश्चित रूप से अभियुक्त के दोष को निर्दिष्ट करने के लिए प्रवृत्त हो आैर यद्यपि की परिस्थितियों में से प्रत्येक निश्चायक न हो, किन्तु साबित परिस्थितियों का समुच्चय परिणाम यह होना चाहिए कि अभियुक्त के दोष को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करें।

49. Ashok Kumar Chatterjee vs State of Madhya Pradesh, 1989 CrlJ 2124: 1989 AIR (SC) 1890 : 1989 SCC (Cr) 566:1989 (2) Crimes 423 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिस्थितिजन्य मामलों को साबित करने के लिए प्रतिपादित सिद्धांत निम्न दिये हैं:–

When a case rest upon circumstantial evidence must satisfy the tests viz (1) the circumstances from which an inference of guilt is sought to be drawn, must be cogently and firmly established : (2) those circumstances should be a definite tendency unerringly plinting towards guilt of the accused ; (3) the circumstances, taken cumulatively, should from a chain so complete that there is no escape form the conclusion

that within all human probability the crime committed by the accused and none else and (4) the circumstantial evidence in order to sustain conviction must be complete and Incapable of explanation of any other hypothesis than that of guilt of the accused and such evidence should not only be consistent with the built of the accused but should be Inconsistent with his Innocence.

50. **शारदा विरधीचन्द शारदा बनाम स्टेट आफ महाराष्ट्र** (1984) 4 **एस०सी०सी० 116** के मामले में पांच स्वर्णिम सिद्धान्त, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित वाद के सबूत का "पंचशील' गठित करने के लिए कहा गया है जो निम्न प्रकार से है–

1. यह कि परिस्थितियां जिनसे दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है पूर्ण रूप से संतुष्ट होनी चाहिए, न कि मात्र "हो सकती'' है।
2. यह कि इस प्रकार साबित तथ्य केवल अभियुक्त के दोष की उपधारणा से संगत होने चाहिए,
   अर्थात् यह कि वे अभियुक्त के दोषी होने के सिवाय किसी अन्य उपधारणा पर स्पष्ट किये जाने योग्य न होना चाहिए।
3. यह कि परिस्थितियों निश्चायक प्रकृति तथा प्रवृत्ति की होनी चाहिए,
4. यह कि उन्हें साबित किये जाने वाली के सिवाय प्रत्येक संभाव्य उपधारणा को अपवर्जित करना चाहिए, और
5. यह कि साक्ष्य की श्रृंखला इस तरह से पूर्ण होनी चाहिए, जिससे कि यह अभियुक्त की निर्दोषिता से संगत निष्कर्ष के लिए कोई युक्ति–युक्त आधार न छोड़ सके और उसे यह दर्शाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावना ने कृत्य अभियुक्त के द्वारा किया हुआ होना चाहिए।

51. **Manoj Bhai Jethbhai Parmar (Rohit) vs. The State of Gujarat on 15 December 2025 सुप्रीम कोर्ट के मामले में** मा० सर्वोच्च न्या० द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों में सिद्धान्त प्रतिपादित करते हुए कहा है कि परिस्थितियां जिनसे दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है पूर्ण रूप से संतुष्ट होनी चाहिए, न कि मात्र "हो सकती'' है" के आधार पर न्यायालय को निष्कर्ष निकालना चाहिए।

52. संदर्भित घटना के **हेतु (Motive)** के संबंध में अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 1 ने अपने बयान साक्ष्य में कहा है कि अंकलेश वर्मा और रिंका का नाजायज संबंध था, मेरे पति ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था और पकड़ा भी था, इसी से अंकलेश व रिंका यह सोचते थे कि कलई खुलने पर हमलोग की बदनामी होगी, इसलिए अंकलेश व रिंका ने साजिश के तहत उसके पति की हत्या की। पी०डब्लू० 3 गीता ने अपने बयान साक्ष्य में कहा है कि मुल्जिम अंकलेश जो उसके गांव के है उसके जेठ लालदेव को फोन करके धोखे से बुलाया और गला काटकर हत्या कर दी, जिससे उसके जेठ लालदेव की मृत्यु हो गयी। पी०डब्लू० 4 जमुना ने अपने मुख्य बयान साक्ष्य में कहा है कि मुल्जिम अंकलेश व रिंका का नाजायज संबंध था, उसके लडके लालदेव ने दोनो को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था व पकड़ा भी था, उसी से

अंकलेश व रिंका यह सोचते थे कि समाज में उसकी कलई न खुल जाये जिससे उसकी बदनामी होगी, इसलिए एक योजना के तहत उसके लड़के की हत्या कर दी। पी०डब्लू० 5 हरिराम ने भी मुल्जिम अंकलेश व रिंका का नाजायज संबंध होना, मृतक लालदेव द्वारा दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिये जाने एवं पकड़े जाने का कथन करते हुए, उसके लड़के लालदेव का हत्या किये जाने का कथन किया है। इस प्रकार अभियोजन की ओर से तथ्य के जितने भी साक्षी परिक्षित कराये गये है उससे घटना का हेतु (Motive) अंकलेश वर्मा का रिंका से नाजायज संबंध व लालदेव द्वारा मना किये जाने पर अभियुक्त अंकलेश वर्मा का नाराज होकर एवं बदनामी के डर से घटना कारित किये जाने का हेतु (Motive) साबित है।

53. घटनाक्रम के संबंध में वादिनी पी०डब्लू० 1 ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि दिनाकं 03.03.2022 को शाम 7.00 बजे किसी का फोन आया उन्होंने कहा कि दस मिनट में आ रहा हूं, मैंने खाना खाने की बात कही तो बताये कि डड़वा जा रहा हूं, बस लौटकर आता हूं तो खाना खाता हूं। काफी देर तक नहीं आने पर अ ास–पड़ोस में पूछताछ करने के बाद वह सो गयी। बाद गिरफ्तारी अभियुक्त अंकलेश वर्मा पुत्र सुभाष वर्मा का बयान पुलिस के समक्ष घटनाक्रम के संबंध में कहा है कि वह अपने गांव के रिंका पुत्री गया प्रसाद से प्रेम करता है, दोनों के मिलने–जुलने की जानकारी लालदेव व उनकी पत्नी को हो गयी थी, जिससे लालदेव व उसकी पत्नी के रोज–रोज मुझे सुनाकर ताना मारते थे। मैं उनके ताने से तंग आ गया था, इनलोगों की बाते सुनकर गांव के लोग भी ताना मारना शुरू कर दिये थे। मेरे मन में आया कि मैं उनको ऐसा दुख दूंगा कि फिर किसी को ताना मारना भूल जायेंगे। रिंकू मेरी प्रेमिका रिंका को भी चिढ़ाती थी, मैं एक–दो बार लालदेव को समझाया था कि क्यों मुझे बदनाम करने पर तुले हो लेकिन वह मेरी बात को हंसी में उड़ा देता था, लालदेव शराब का ऐसा नशेड़ी था कि मुफ्त की दारू के लिए कहीं भी जा सकता था। मैंने एक दिन पहले उसे दारू पीने के बहाने वही पर बुलाया था, दो शीशी शराब पिलायी, मेरा इरादा उसी दिन इसको ठिकाने लगा देने का था, लेकिन उस दिन उसे मार नहीं पाया, मैं 15–20 दिन पहले ही इस काम के लिए शंकरपुर बाजार से अजय गिरी के दुकान से एक आरी, ब्लेड चाकू खरीद कर रखा था लेकिन उस दिन एक ही शीशी पीने के बाद लालदेव दूसरी शीशी बिना पिये ही लेकर चला गया। मैं लालदेव को मारने की फिराक में लगा था उस दिन मैंने लालदेव से कहा कि बाहर से एक आदमी बढ़िया ब्रांड की शराब लाकर देने वाला है, मैं तुमको वह पिलाउंगा, उसने कहा कि जब मैं फोन करूंगा तब तुम आ जाना 03 तारीख को मैंने अपने प्लान के मुताबिक शाम 7.00 बजे लालदेव को अपने फोन नं 9369478263 से फोन किया कि शराब आ गयी है, आ जाओ, पांच मिनट बाद लालदेव वहां आ गया। मैंने उससे कहा कि जो आदमी शराब लेकर आया है वह तुम्हारे सामने नहीं आयेगा। लालदेव ने कहा कि कोई बात नहीं है मैं अपनी आंख बंद कर लेता हूं लेकिन मैंने उसे भरमाया कि नहीं मैं तुम्हारे आंख पर पट्टी बांध देता हूं, वह अपने पास रखी आम आदमी

की पट्टी उसकी आंख पर बांध दिया, एक बार जब उसकी आंख बंद हो गयी तब मैंने अपने पास रखे चाकू से एक ही झटके में सामने से उसका गला रेत दिया, इतने में लालदेव एक हाथ से अपना गला पकड़ा और दूसरे हाथ से मेरा बाल पकड़ लिया और मुझसे गुथम गुथा हो गयी। उसकी आंख की पट्टी भी सरक गयी, मरने से पहले उसने खूब संघर्ष किया और उसने मेरे दायें हाथ की बीच वाल उंगली दांत से काट लिया। जब उसे जमीन पर गिरा दिया तब मैं उसके गले के घाव में अपनी अंगुली डालकर घाव को और फैला दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। मेरे पूरे कपड़े पर लालदेव का खून लग गया था, कुछ देर वहां रूका, उसके बाद मैं बिजली के पोल के पास खेत में चाकू छिपा दिया और वहां से घर चला आया, घर पर बाहर आग जल रही थी, मैं अपने सारे कपड़े बाहर तापने के लिए जल रही आग में जला दिया तब देखा कि बायें हाथ का दस्ताना मौके पर ही छूट गया, सारा कपड़ा आग में जलाने के बाद वही बाहर नल पर स्नान किया। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 2 गीता ने अपने साक्ष्य में कहा है कि जब वह अपने जेठ को खोज रही थी तो उस समय अंकलेश वर्मा नहा रहा था। विवेचक द्वारा पत्रावली में संलग्न फर्द बरामदगी प्रपत्र 3 क/16 रक्त रंजीत गेहूं व बाली, 3 क/17 फर्द बरामदगी बाबत कब्जा काटनगॉज, फर्द बरामदगी बाबत कब्जा 3 क/18 दस्ताना, फर्द बरामदगी 3 क/19 मृतक के बायें हाथ का नाखून व बाल का टुकड़ा को अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 5 हरिराम द्वारा **प्रदर्श क-3** ता **क-6** के रूप में साबित किया गया है। जिसकी पुष्टि अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 10/विवेचक रामकृष्ण मिश्र के दिये गये साक्ष्य से भी होती है।

54. घटनास्थल पर मृतक लालदेव के बायें हाथ के नाखून में लगे बाल का बरामद होना घटनास्थल पर गेहूं की फसल एवं पत्तियों पर खून का पाया जाना तथा रक्त रंजीत चाकू व दस्ताना को विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजा गया है। पत्रावली में संलग्न विधि विज्ञान प्रयोगशाला गोरखपुर उ०प्र० की रिपोर्ट का०सं० 30 क/3 संलग्न है जिसके अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि पुलिस अधीक्षक बस्ती के पत्रांक 49-DNA-22 अ०सं० 41/22 अंतर्गत धारा 302 IPC थाना सोनहा, राज्य बनाम अंकलेश वर्मा से संबंधित कुल (8) दो सर्व मुहर लिफाफे क्रम सं० 1 ता 7 एवं सर्व मुहर बंडल क्रम सं० 2 जिन पर ए मौर्या एस.आई. UPP मुद्रा नमूना अनुसार एवं सर्व मुहर बंडल क्रम सं० 3 व 3 सर्व मुहर लिफाफे क्रम सं० 4 से 6 जिन पर डी.एन. यादव मुद्रा नमूना अनुसार एवं सर्व मुहर क्रम सं०(8) जिस पर पी.एम. बस्ती मुद्रा नमूना अनुसार की छाप अक्षत थी, जिसमें रक्त नमूना अभियुक्त अंकलेश वर्मा से क्रम सं० 1, दस्ताना घटनास्थल से, चाकू, काटनगाज में उठाया गया रक्त, गेहूं की पत्ती बाली रक्त रंजीत तथा बाल मृतक के हाथ से, जो घटनास्थल से बरामद किये गये है एवं नमूना बाल अभियुक्त अंकलेश वर्मा से एवं मृतक लालदेव से संबंधित अंडरवियर, पैंट, टी-शर्ट, शर्ट फुल आस्तीन, स्वेटर हाफ, स्वेटर फुल, कलावा रक्षासूत्र, ताबिज, लाल धागा रूद्राक्ष, कर्धन को परीक्षण हेतु

भेजा गया है। वैज्ञानिक परीक्षण विधि विज्ञान प्रयोगाशाला गोरखपुर की आख्या दिनांकित 02.05.2025 है। **परीक्षण परिणाम–** प्राप्त प्रदर्श (1) ता (17) का डीएऩए परीक्षण किया गया। **स्त्रोत प्रदर्श–(6) (घटनास्थल से) का डीएऩए प्रोफाइल, स्त्रोत प्रदर्श (1) (अंकलेश वर्मा से) के समान पाया गया।** (HID&Y–STR KIT). स्त्रोत प्रदर्श (2) से (5) (घटनास्थल से) का डीएऩए प्रोफाइल, स्त्रोत प्रदर्श (10),(12) से (14) व (16) (मृतक लालदेव वर्मा/PM NO 102/22 से) के समान पाया गया।(HID–STR KIT). स्त्रोत प्रदर्श (7) से (9),(11),(15) व (17) में पुरूष मूल का आंशिक आंशिक डीएऩए प्रोफाइल जेनरेट हुआ। डीएनए परीक्षण में जेनेटिक एनालाइजर व जीन मैपर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया। उक्त परीक्षण में मानक विधियां प्रयोग में लायी गयी।

55. उक्त परीक्षण रिपोर्ट के संबंध में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि परीक्षण रिपोर्ट किसी साक्षी द्वारा साबित नहीं कराया गया है। अतः ऐसी परीक्षण रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती।

56. यद्यपि यह सही है कि पत्रावली में संलग्न विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट का०सं० 30क/3 अभियोजन द्वारा साबित नहीं कराया गया है परन्तु उक्त परीक्षण रिपोर्ट **धारा 293 दं०प्र०सं०** के अंतर्गत वैज्ञानिक परीक्षण रिपोर्ट होने के कारण न्यायालय को यह देखा जाना है कि घटनास्थल से बरामद वस्तुओं व घटना से संबंधित परीक्षण हेतु संग्रहीत की गयी वस्तुएं सम्यक रूप से विवेचना के अनुक्रम में ली गयी है कि नहीं। प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 05.03.2022 को घटना के तीसरे दिन अभियुक्त की गिरफ्तारी किये जाने के उपरांत उसके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बरामद वस्तुओं एवं दिनांक 04.03.2022 को मृतक की बायें हाथ नाखून में पाये गये बाल व अभियुक्त के नमूना बाल एवं खून को परीक्षण हेतु लिया गया है, जो पुलिस अधीक्षक के माध्यम से विधि विज्ञान प्रयोगशाला गोरखपुर भेजकर परीक्षण कराया गया है। ऐसी परीक्षण रिपोर्ट एक वैज्ञानिक परीक्षण रिपोर्ट होने के कारण साक्ष्य में ग्राह्य मानी जायेगी। अतः बचाव पक्ष के दिये गये तर्क में न्यायालय की राय में कोई बल प्रतीत नहीं होता।

57. घटनाक्रम के दौरान घटनास्थल पर घटना कारित के समय अभियुक्त अंकलेश वर्मा व लालदेव का मृत्यु पूर्व संघर्ष हुआ था जिसकी पुष्टि पत्रावली में संलग्न नक्शानजरी का०सं० 3क/15 के अवलोकन से हो रहा है। विवेचक द्वारा दिनांक 04.03.2022 को तैयार नक्शानजरी "ए" स्थान चक मार्ग जहां पर अभियुक्त मृतक के ऊपर चाकू से वार करना दर्शयाा गया है, तथा "ए2" वह स्थान है जहां अभियुक्त ने मृतक को मार कर मौत के घाट उतार दिया तथा मृतक का शव पड़ा होना दर्शाया गया है तथा "ए2" स्थान सुभाष वर्मा के गेहूं की फसल को दर्शाया गया है। उक्त नक्शानजरी को अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 10 रामकृष्ण मिश्रा द्वारा अपने लेख व हस्ताक्षर में स्वीकार करते हुए न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने बयान साक्ष्य से **प्रदर्श क–14** के रूप में साबित किया है।

58. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादिनी के पति लालदेव द्वारा दिनाकं03.03.2022 को शाम करीब 7.00 बजे घर से अपनी मोटरसाइकिल सं० UP–51–Z–5668 से जाना कहा गया है तथा दिनांक 04.03.2022 को सुबह 7.00 बजे स्थान वाहिद चक सुभाष वर्मा के खेत के बगल में चक रोड पर लालदेव की मोटरसाइकिल पायी गयी है, उक्त मोटरसाइकिल को न तो पुलिस द्वारा बरामद किया गया और न ही उसकी कोई फर्द तैयार की गयी है। ऐसी परिस्थिति में घटना संदिग्ध हो जाती है।

59. यद्यपि यह सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादिनी के पति लालदेव (मृतक) को दिनांक 03.03.2022 को समय 7.00 बजे अपने घर से मोटरसाइकिल नं० UP–51–Z–5668 से जाना कहा गया है तथा उक्त मोटरसाइकिल दिनांक 04.03.2022 को सुबह 7.00 बजे के करीब ग्राम वाहिद चक में स्थित सुभाष वर्मा के खेत के समीप चक रोड पर गिरी हुयी पायी गयी है तथा लालदेव का शव सुभाष वर्मा के गेहूं के खेत में पड़ा पाया गया है। थाना सोनहा पुलिस द्वारा मृतक से संबंधित मोटरसाइकिल को बरामद न करना तथा फर्द न तैयार करना, विवेचक की कमी मानी जा सकती है। **रोहतास बनाम राजस्थान राज्य 2007 (1) CCSC page 116 Supreme Court** के मामले में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि विवेचना में कमी अभियोजन मामले को प्रभावित नहीं करता तथा विवेचक की कमी का लाभ अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता।

घटनास्थल से मृतक की मोटरसाइकिल को पुलिस द्वारा कब्जे में न लिया जाना महत्वपूर्ण नहीं है।

60. अभियुक्त अंकलेश वर्मा की गिरफ्तारी के क्रम में उसके द्वारा पुलिस के समक्ष घटना के क्रम में यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर दौरान संघर्ष लालदेव ने उसके हाथ की ऊंगली में काट लिया था तथा एक हाथ से वह मेरा बाल पकड़ लिया था। घटनास्थल पर मृतक लालदेव के हाथ में पुलिस द्वारा एक बाल कॉटन में प्राप्त कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला गोरखपुर डीएनए परीक्षण हेतु भेजा गया है जो अभियुक्त अंकलेश वर्मा के लिये गये बाल के सैंपल से डीएनए परीक्षण रिपोर्ट में समानता पायी गयी है तथा पत्रावली में का०सं० 3 क/37 अंकलेश वर्मा पुत्र रामसुभाष वर्मा निवासी वाहिद चक उम्र 20 वर्ष का आघात रिपोर्ट दिनांक 05.03.2022 दाखिल किया गया है जिसके अवलोकन से प्रकट हो रहा है कि सी.एच.सी भानपुर के ईएमओ. द्वारा दिनांक 05.03.2022 को समय 02.17PM पर अंकलेश वर्मा की चोटों का परीक्षण किया गया है जिसमें Deep Abrasion middle finger of right hand. Size 3.2x1cm दर्शाया गया है। जिसका स्पष्टीकरण अभियुक्त अंकलेश वर्मा की ओर से नहीं दिया गया है।

61. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि पत्रावली में अंकलेश वर्मा का आघात रिपोर्ट का०सं० 3 क/37 अभियोजन की ओर से साबित नहीं कराया गया है। अतः वह साक्ष्य में ग्राह्य नहीं माना जा सकता।

62. यद्यपि यह सही है कि अभियुक्त अंकलेश वर्मा की आघात रिपोर्ट को अभियोजन द्वारा साबित कराया जाना चाहिए था, साबित न कराये जाने से यह अभियोजन की कमी मानी जा सकती है लेकिन पत्रावली में दाखिल अंकलेश वर्मा का आघात रिपोर्ट का०सं० 3 क/37 के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि अभियुक्त अंकलेश वर्मा की गिरफ्तारी दिनांक 05.03.2022 के अनुक्रम में थाना सोनहा पुलिस की ओर से सी.पी. सुनिल कुमार सिंह के द्वारा ले जाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भानपुर में संबंधित चिकित्सक से ईलाज कराया गया है। उक्त चिकित्सक द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लोक सेवक के हैसियत से कार्य किया गया है तथा बाद परीक्षण अभियुक्त अंकलेश वर्मा के चोटों का आघात रिपोर्ट तैयार किया है जो अभियुक्त के द्वारा पुलिस के समक्ष दिये गये बयान कथन से समर्थित है। ऐसी परिस्थिति में उक्त प्रपत्र विश्वसनीय एवं साक्ष्य में पढ़े जाने योग्य है तथा बचाव पक्ष के तर्क में न्यायालय की राय में कोई बल प्रतीत नहीं होता।

63. जहां तक अपराध कारित किये जाने में अभियुक्त अंकलेश वर्मा व रिंका द्वारा आपराधिक षडयंत्र करते हुए वादिनी के पति लालदेव की हत्या किये जाने में संयुक्त भूमिका का प्रश्न है। पत्रावली में अभियोजन की ओर से घटना कारित किये जाने के पूर्व अभियुक्तगण का एक–दूसरे से घटना कारित किये जाने में उनकी सहमति थी कि नहीं, इस साक्ष्य का पत्रावली पर अभाव है तथा अभियुक्ता रिंका द्वारा अपराध कारित किये जाने में उसकी क्या भूमिका रही अभियोजन की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही घटनास्थल पर अभियुक्ता रिंका से संबंधित कोई वस्तु आदि की बरामदगी की गयी है। रिंका का अभियुक्त अंकलेश से घटना के पूर्व प्रेम संबंध होने की बात तथ्य के साक्षीगण द्वारा कहा गया है। मात्र प्रेम संबंध से शंका के आधार पर रिंका को प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्ता बना देना न्यायालय की राय में उसे दोषी ठहराया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नहीं होता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत शंका एवं संभावना सबूत नहीं मानी जा सकती। ऐसी परिस्थिति में अभियोजन अभियुक्ता रिंका के विरूद्ध उसके द्वारा अपने पूर्व विचारों के सम्मिलन के साथ घटना कारित किये जाने एवं आपराधिक षडयंत्र किये जाने सम्बंधित तथ्य को साबित कर पाने में पूरी तरह से असफल रहा है। अतः अभियुक्ता रिंका के विरूद्ध लगाये गये आरोप अतंर्गत धारा 302 सपठित धारा 34 एवं धारा 120 बी IPC के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है।

64. प्रस्तुत प्रकरण में यह साबित हो चुका है कि घटना के पूर्व से अभियुक्त अंकलेश वर्मा व रिंका के मध्य प्रेम संबंध होने एवं वादिनी तथा उसके पति लालदेव द्वारा बार–बार मना

किये जाने पर अंकलेश वर्मा द्वारा नाराज रहने तथा अभियोजन की ओर से घटना का हेतु (Motive) साबित किये जाने एवं दिनांक 03.03.2022 को समय 7.00 बजे शाम को अभियुक्त द्वारा शराब पीने के बहाने वादिनी के पति को घटनास्थल पर धोखे से बुलाकर उसके गले पर चाकू से प्रहार करना एवं दौरान संघर्ष लालदेव द्वारा अभियुक्त अंकलेश वर्मा के दाहिने हाथ की बीच की ऊंगली को दांत से काटना एवं दूसरे हाथ से बाल पकड़ना, जिसकी पुष्टि पत्रावली पर अभियुक्त की आघात आख्या का०सं० 3 क/37 से होना, लालदेव (मृतक) के मृत्यु के उपरांत हाथ के नाखून पर बाल का मिलना जिसका डीएऩए परीक्षण रिपोर्ट में अभियुक्त अंकलेश वर्मा के बाल से समानता होना, तथ्य के साक्षीगण द्वारा मृतक के शरीर पर पहुंचायी गयी चोटों की पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य से साबित होना।

65. उपरोक्त परिस्थितियो में न्यायालय की राय में घटनाक्रम से संबंधित उपरोक्त कड़िया एक साथ मिलकर पारिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़िया पूर्ण करती है और वे कड़िया एक साथ मिलकर संपूर्ण श्रृंखला का निर्माण करती है जिससे अभियुक्त अंकेलश वर्मा का अपराध कारित किये जाने में संलिप्तता स्पष्ट रूप से साबित होती है। अभियुक्त के अलावा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा हत्या कारित किये जाने की सम्भावना शेष नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायालय की राय में अभियुक्त अंकलेश वर्मा को अंतर्गत धारा 302 भा०दं०सं० के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होता है, अभियुक्त अंकलेश वर्मा भा०दं०सं० 302 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है तथा 120 बी भा०दं०सं० के अधीन आरोप में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त अंकलेश वर्मा को अपराध सं०–41/2022 में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120 बी में दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा 302 भा०दं०सं० के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्ता रिंका के विरूद्ध लगाये गये आरोप अतंर्गत धारा 302 सपठित धारा 34 एवं धारा 120 बी IPC के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त अंकलेश वर्मा जिला कारागार से न्यायालय समक्ष उपस्थित है। पत्रावली लन्च बाद दण्ड के बिन्दु पर सुनवा्ई हेतु पेश हो।

दिनाँकः 31–03–2026 **(शिवचन्द)**
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–1 बस्ती।

<u>दिनांकः 31–03–2026</u>

लंच पश्चात पत्रावली पेश हु्ई। दोषसिद्ध अंकलेश वर्मा न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित है।

दण्ड के प्रश्न पर दोषसिद्ध अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना।

दोषसिद्ध अभियुक्त अंकलेश वर्मा के विद्वान अधिवक्ता की आेर से कथन किया गया कि– दोषसिद्ध अभियुक्त अंकलेश वर्मा उम्र 23 वर्ष का एक नौजवान युवक है। दोषसिद्ध अभियुक्त का पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। अभियुक्त दिनांक 05.03.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है। घटना प्रेम संबंध की नाराजगी को लेकर होना कहा गया है। मामला विरलतम श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है, कम से कम सजा से दंडित किये जाने की याचना की गयी है।

प्रतिउत्तर में विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की आेर से कथन किया गया कि दोषसिद्ध अभियुक्त अंकलेश वर्मा पर मृतक लालदेव विश्वास करता था, जिसे धोखे से बुलाकर उसकी हत्या किये जाने का अभियोग युक्ति–युक्त संदेह से परे प्रमाणित है। दोषसिद्ध अभियुक्त को अधिकतम दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया गया है।

उभयपक्ष द्वारा स्वीकृत तथ्य है कि मृतक लालदेव व दोषसिद्ध अभियुक्त अंकलेश वर्मा एक ही गांव के है। दोषसिद्ध अभियुक्त का पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। न्यायालय की राय में दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति विरलतम श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। ऐसी परिस्थिति में मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दोषसिद्ध अभियुक्त अंकलेश वर्मा को धारा 302 भा०दं०सं० के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं पच्चीस हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया एवं जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>आदेश</u>

दोषसिद्ध अभियुक्त अंकलेश वर्मा को प्रस्तुत प्रकरण में निम्न दण्डादेश पारित किया जाता है–

I. दोषसिद्ध अभियुक्त को धारा 302 भा०दं०सं० के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं पच्चीस हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जाता है तथा जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत मामले में जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित मानी जायेगी।

अभियुक्ता रिंका जमानत पर है। अभियुक्ता के निजी बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं एवं प्रतिभूजन को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्ता द्वारा धारा–437 ए द०प्र०सं० (481 बी.एन.एस.एस.) के अंतर्गत दाखिल जमानत प्रपत्र व बन्धपत्र 6 माह तक के लिए प्रभावी होगा।

प्रस्तुत निर्णय व आदेश के विरूद्ध, दोषसिद्ध अभियुक्त को अपील दाखिल किये जाने के बावत उसके अधिकार एवं जमानत के संबंध में अवगत करा दिया गया है।

निर्णय की एक प्रति सत्र परीक्षण संख्या 949/2022 में रखी जाये।

दोषसिद्ध अभियुक्त अंकलेश वर्मा का सजायावी वारण्ट अविलम्ब तैयार कर जिला कारागार भेजा जाये।

मालमुकदमाती आलाकत्ल चाकू, दस्ताना, पट्टी मियाद अपील नियमानुसार संरक्षित रखी जाय।

निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क दी जाय।

दिनाँकः 31-03-2026 **(शिवचन्द)**
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-1 बस्ती।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवचन्द)
दिनांक 31-03-2026 **अपर सत्र न्यायाधीश**
न्यायालय संख्या-1 बस्ती।